



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2017—आश्विन 7, शक 1939

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. ई-5-481-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैस, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं आनंद विभाग को दिनांक 6 से 13 अक्टूबर 2017 तक, आठ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 14, 15 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं आनंद विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-803-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. खरे, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 3 से 13 अक्टूबर 2017 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1, 2 एवं 14, 15 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-846-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रेनु तिवारी, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अगस्त 2017 द्वारा दिनांक 4 से 15 सितम्बर 2017 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 4 से 18 सितम्बर 2017 तक, पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अगस्त 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-858-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विकास नरवाल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 09, 10 एवं 16, 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विकास नरवाल द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्र. ई-5-724-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुखवीर सिंह, आयएएस., आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री सुखवीर सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अमित राठौर, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त सह संचालक, संस्थागत वित्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुखवीर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुखवीर सिंह द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सुखवीर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखवीर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्र. ई-5-912-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस., उपसचिव, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 4 से 21 सितम्बर 2017 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02, 03 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. विजयदत्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-306-2017-5-एक.—श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010), अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, टीकमगढ़ पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-5-1028-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज खत्री, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09, 10 एवं 16, 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज खत्री, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज खत्री को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज खत्री अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. ई-5-923-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती निधि निवेदिता, आयएस., परियोजना संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा परियोजना संचालक, तेजस्विनी परियोजना को दिनांक 18 से 29 सितम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निधि निवेदिता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परियोजना संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा परियोजना संचालक, तेजस्विनी परियोजना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती निधि निवेदिता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निधि निवेदिता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-690-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 तथा 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरुद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-837-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को दिनांक 31 अगस्त से 8 सितम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. ई-5-937-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. बी. प्रजापति, आयएस., अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना को दिनांक 18 से 29 सितम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं 30 सितम्बर 2017 तथा दिनांक 01, 02 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. प्रजापति को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर. बी. प्रजापति को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. बी. प्रजापति अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-955-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय सिंह गंगवार, आयएएस., सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 12 से 21 जनवरी 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय सिंह गंगवार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजय सिंह गंगवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय सिंह गंगवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-315-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है।

#### तालिका

| क्र. | अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना                                       | नवीन पदस्थापना                                   |
|------|--|--|
| (1)  | (2)  | (3)  |
| 1    | सुश्री शीतला पटले (2014), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुनासा जिला खण्डवा. | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा जिला ग्वालियर. |
| 2    | श्री क्षितिज सिंघल (2014), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरसूद जिला खण्डवा. | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दतिया.              |

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्र. ई-1-309-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है।

| क्र. | अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना                                   | नवीन पदस्थापना                                     |
|------|--|--|
| (1)  | (2)  | (3)  |
| 1    | श्री आशीष वशिष्ठ (2014). अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोहद जिला भिण्ड. | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर जिला छतरपुर. |

2 श्रीमती सलोनी सिडाना (2014), अनुविभागीय अधिकारी सहायक कलेक्टर, भिण्ड. (राजस्व), राजनगर जिला छतरपुर.

क्र. ई-5-896-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-305-2017-5-एक.—श्रीमती उमा माहेश्वरी आर., भाप्रसे (2013), सहायक कलेक्टर, जबलपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिहोरा, जिला जबलपुर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2017

क्र. ई-1-318-2017-5-एक.—श्री पी. नरहरि, भाप्रसे (2001), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री पी. नरहरि द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश कुमार कौल, भाप्रसे (2007), संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्र. एफ 5-17-2015-एक-(1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस सुश्री वन्दना कसरेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार

कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

| अ. क्र. | अवकाश अवधि                         | कुल दिन | अवकाश का प्रकार                   | अभियुक्ति   |
|---------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|---|
| (1)     | (2)                                | (3)     | (4)                               | (5)   |
| 01      | दिनांक 27 जून 2017 से 30 जून 2017. | 04      | पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश. | अवकाश के पूर्व में दिनांक 24, 25 एवं 26 जून 2017 तथा अवकाश के पश्चात् में 01 एवं 2 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. ई.-5-674-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2017 द्वारा दिनांक 21 से 26 अगस्त 2017 तक, छः दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
फजल मोहम्मद, अपर सचिव "कार्मिक".

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. एफ 7-7-2011-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 18

के अध्यक्षीय राज्य शासन द्वारा सिंगरौली विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित पद पर आगामी आदेश तक नामांकित किया जाता है:—

| क्रमांक | नाम                         | पदनाम     |
|---------|-----------------------------|-----------|
| (1)     | (2)                         | (3)       |
| 1       | श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा | उपाध्यक्ष |
| 2       | श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह  | उपाध्यक्ष |
| 3       | श्री दिलीप शाह (साहू)       | उपाध्यक्ष |
| 4       | श्रीमती मधु झा              | सदस्य     |
| 5       | श्रीमती आशा यादव            | सदस्य     |
| 6       | श्री जयप्रसाद वैश्य         | सदस्य     |

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे.

क्र. एफ 7-30-2012-अठारह-6.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 18 के अध्यक्षीय राज्य शासन द्वारा कटनी विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित पद पर आगामी आदेश तक नामांकित किया जाता है:—

| क्रमांक | नाम                    | पदनाम     |
|---------|------------------------|-----------|
| (1)     | (2)                    | (3)       |
| 1       | श्री सत्यव्रत त्रिपाठी | उपाध्यक्ष |
| 2       | श्रीमती आशा कोहली      | उपाध्यक्ष |
| 3       | श्री आशीष गुप्ता       | सदस्य     |
| 4       | श्रीमती रूकमणि बर्मन   | सदस्य     |
| 5       | श्री भोला साहू         | सदस्य     |

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे.

क्र. एफ 3-37-2010-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 18 के अधधीन राज्य शासन द्वारा अमरकंटक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित पद पर आगामी आदेश तक नामांकित किया जाता है।

| क्रमांक | नाम                        | पदनाम     |
|---------|----------------------------|-----------|
| (1)     | (2)                        | (3)       |
| 1       | श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी | अध्यक्ष   |
| 2       | श्रीमती बबीता सिंह         | उपाध्यक्ष |
| 3       | श्री रमेश करायत            | उपाध्यक्ष |
| 4       | श्रीमती नम्रता सिंह श्याम  | सदस्य     |
| 5       | श्री भानू सेन              | सदस्य     |
| 6       | श्री ओमप्रकाश अग्रवाल      | सदस्य     |

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2017

क्र. एफ-7-7-2011-बत्तीस-1.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 सितम्बर 2017 द्वारा जारी आदेश के सरल क्रमांक-1 में अंकित श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा को सिंगरौली विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष नामांकित किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा के समक्ष कॉलम नम्बर 3 में अंकित उपाध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष पढ़ा जावे।

शेष आदेश यथावत् रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव शर्मा, अपर सचिव।

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2017

क्र. एफ-1(ए)212-19-96-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 25 सितम्बर से 4 अक्टूबर 2017 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24 सितम्बर एवं 5 अक्टूबर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का उक्त अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अनंत कुमार सिंह, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल (मुख्यालय) द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ 1(ए)148-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, (रेल) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 14 से 18 अगस्त 2017 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 12-13 एवं 19-20 अगस्त 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योंतर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक (रेल), मध्यप्रदेश, भोपाल का उक्त अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री नवलसिंह रघुवंशी, भा.पु.से., उप पुलिस महानिरीक्षक, (रेल) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (रेल) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से., द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

## भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्र. एफ-1(बी)35-17-बी-4-दो.—राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 6642-59-2016-चयन, दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2015 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम-6 में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है:—

| स. क्र. | मैरिट क्र./अनुक्रमांक | नाम                   | सीट | श्रेणी | नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण  |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----|--------|---|
| (1)     | (2)                   | (3)                   | (4) | (5)    | (6)   |
| 1       | 21/106761             | सुश्री नेहा सोनी      | UNR | OBC    | आवेदन पत्र दिनांक 18 अगस्त 2017 द्वारा लिखित में राज्य सेवा परीक्षा-2016 के माध्यम से उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयन होने के कारण उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण/नियुक्ति हेतु असहमति प्रदान करने की सूचना दी गई. |
| 2       | 34/101256             | सुश्री प्रियंका वर्मा | SCF | SC     | आवेदन पत्र दिनांक 18 अगस्त 2017 द्वारा लिखित में राज्य सेवा परीक्षा-2016 के माध्यम से उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयन होने के कारण उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति समाप्त करने की सूचना दी गई.                            |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव.

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2017

क्र. एफ-5-10-2011-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1 क) अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वतर हो, तक के लिए सदस्य के पद पर नियुक्त करता है:—

| क्र. | नाम एवं पता   | जिला उपभोक्ता फोरम का नाम | पद की श्रेणी    |
|------|---|---------------------------|-----------------|
| (1)  | (2)   | (3)                       | (4)             |
| 1    | श्री संजय कुमार पाण्डेय, पुत्र स्व. श्री चन्द्रकांत पाण्डेय, ग्राम कटकोना, पो. लालपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश. | शहडोल                     | अनारक्षित       |
| 2    | श्रीमती शालिनी कटारे पति श्री संजय कटारे, काशीनाथ कटारे चौक, पुरानी सब्जी मंडी, शहडोल, मध्यप्रदेश.            | शहडोल                     | आरक्षित (महिला) |

| (1) | (2)  | (3)                   | (4)             |
|-----|--|-----------------------|-----------------|
| 3   | श्री संजय कुमार शर्मा, पुत्र श्री अंजनी कुमार शर्मा, कृष्णा निकेतन, नजरबाग, छतरपुर मध्यप्रदेश.                                     | छतरपुर                | अनारक्षित       |
| 4   | श्री दिनेश शर्मा, पुत्र श्री एल. एल. शर्मा, 5, प्रोफेसर्स कॉलोनी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.   | होशंगाबाद             | अनारक्षित       |
| 5   | श्रीमती संगीता जारोली, पति श्री राजेन्द्र जारोली, 10, जारोली भवन, दशहरा मैदान, नीमच मध्यप्रदेश.                                    | नीमच                  | आरक्षित (महिला) |
| 6   | श्री रमाकांत दीक्षित, पुत्र श्री शारदा प्रसाद दीक्षित शारदा सदन, त्रिमूर्ति नगर, सदर मंदिर, शंकराचार्य वार्ड नरसिंहपुर मध्यप्रदेश. | नरसिंहपुर             | अनारक्षित       |
| 7   | श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, पुत्र श्री भगवान सिंह राजपूत महामाया वार्ड भैरोगंज, सिवनी मध्यप्रदेश.                                  | सिवनी                 | अनारक्षित       |
| 8   | श्रीमती संगीता भंडावत, पति श्री शरद भंडावत, 49, भट्ट मोहल्ला, शाजापुर मध्यप्रदेश.  | शाजापुर               | आरक्षित (महिला) |
| 9   | डॉ. श्रीमती सीमा नेगी, पति श्री जितेन्द्र नेगी, वृन्दावन कॉलोनी, महेश्वर जिला खरगौन मध्यप्रदेश.                                    | खरगौन<br>(मण्डलेश्वर) | आरक्षित (महिला) |
| 10  | श्रीमती निधि बारंगे, पति श्री रामरतन बारंगे, 41, संचार कॉलोनी, वार्ड नं. 40 तात्या टोपे वार्ड, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश.              | छिन्दवाड़ा            | आरक्षित (महिला) |
| 11  | श्री शिवनारायण खरे पुत्र स्व. श्री मूलचंद खरे, 405 अर्पित अपार्टमेन्ट नागरथ चौक, जबलपुर मध्यप्रदेश.                                | जबलपुर क्रमांक-1      | अनारक्षित       |
| 12  | श्री योमेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय रामलखन अग्रवाल, 404, रायल डिलाईट अपार्टमेन्टस सिविल लाइन जबलपुर मध्यप्रदेश.                | जबलपुर क्रमांक-2      | अनारक्षित       |
| 13  | कुमारी अर्चना शुक्ला पुत्री श्री एच.जी. शुक्ला, बी-103, राहुल अपार्टमेन्टस मदनमहल जबलपुर मध्यप्रदेश.                               | जबलपुर क्रमांक-2      | आरक्षित (महिला) |

2. उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:—

- 2.1 कार्यभार ग्रहण के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे.
- 2.2 बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.
- 2.3 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
- 2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.
- 2.5 उपरोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

3. संबंधित जिले के अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा उक्त सदस्य के चरित्र सत्यापन के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. चन्देल, उपसचिव.



**विभाग प्रमुखों के आदेश**  
**कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला हरदा मध्यप्रदेश**

हरदा, दिनांक 15 सितम्बर 2017

क्र. 10378.—आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 2289-226-अनु.ब-आउशि-15, भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2013 एवं पत्र क्रमांक 45-226-आउशि-बजट-14, भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2017 व जिला योजना समिति, हरदा की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2016 के निर्णय अनुसार शासकीय कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदा का नाम स्वामी विवेकानन्द शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदा (मध्यप्रदेश) किया जाता है।

अनय द्विवेदी, कलेक्टर.

**कार्यालय, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश**

राजभवन, भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्र. एफ-1-8-17-रा.स.-यू.ए.1-1178.—यतः, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु जिला इन्दौर के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 (क्र. 02 सन् 2016) की धारा 44 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-52-1-2017-38-3, दिनांक 18 सितम्बर 2017 जारी की है, जो कि दिनांक 18 सितम्बर 2017 से प्रभावशील हो गई है।

2. अतः, राज्य शासन के परामर्श अनुसार मैं ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु एतद्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल को आगामी आदेश तक के लिये अपने दायित्वों के साथ-साथ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, जिला इन्दौर के कुलपति के पद पर नियुक्त करता हूँ।

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

**कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल**

राजभवन, भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

क्र. एफ-1-5-17-रा.स.-यू.ए.1-1192.—महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 09 सन् 1991) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:—

- |  |                  |  |
|--|------------------|--|
| 1. प्रो. देवानन्द बी. शिन्दे,<br>कुलपति,<br>शिवाजी विश्वविद्यालय,<br>कोल्हापुर (महाराष्ट्र). | समिति के अध्यक्ष | कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित                            |
| 2. प्रो. इन्दर मोहर कपाही,<br>दिल्ली.  | समिति के सदस्य   | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान<br>आयोग द्वारा नामांकित. |
| 3. डॉ. राकेश यमदग्नी,<br>(पूर्व कुलपति),<br>गुड़गाँव (हरियाणा).                              | समिति के सदस्य   | प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्वाचित                          |

(2) कुलाधिपति के द्वारा प्रो. देवानन्द बी. शिन्दे, को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी।

कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के आदेशानुसार,  
एम. मोहन राव, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

**राजस्व विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1-9-2015-सात-शा-6-1025.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से झाबुआ जिले की तहसील झाबुआ की सीमाएं उसमें से राजस्व निरीक्षक मण्डल रामा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 55 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और झाबुआ तहसील के राजस्व निरीक्षक वृत्त रामा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 55 समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील रामा का सृजन करती है, जिसमें 55 पटवारी हल्के और 125 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय रामा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1-9-2015-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-9-2015-सात-शा-6, दिनांक 22 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती ओगरे, उपसचिव.

ORDER

Bhopal the 22nd September 2017

No. F-1-9-2015-VII-6-1025.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby, alter the limits of Tehsil Jhabua of District Jhabua from the date of Publication of this order in the Official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 55 of Revenue circle Rama and creates a new Tehsil Rama by comprising of Patwari Halka No. 01 to 55 of Revenue Circle Rama, which shall be comprised of 55 Patwari Halka and 125 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Rama.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

BHARTI OGREY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2017

### सूचना

क्र. एफ. 1-01-2017-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, सागर जिले में विकासखण्ड जैसी नगर को तहसील सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान जिला सागर जिले की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा. तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

### अनुसूची

| क्र. | प्रस्तावित तहसील | मुख्यालय | वर्तमान तहसील | परिवर्तन का स्वरूप  | सीमाएं  |
|------|------------------|----------|---------------|---|---|
| (1)  | (2)              | (3)      | (4)           | (5)   | (6)   |
| 1    | जैसीनगर          | सागर     | सागर          | वर्तमान तहसील सागर के रा.नि.मं.-में जैसीनगर के 62 प.ह.नं. लगायत 127 से 188 तक कुल 149 ग्राम एवं 3 राजस्व निरीक्षक मण्डल, जैसीनगर सोमढाना एवं बिलहरा शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय जैसीनगर होगा, अपवर्तित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील जैसीनगर में सम्मिलित होंगे. | <b>पूर्व में</b> —तहसील सागर, जिला सागर<br><b>पश्चिम में</b> —वर्तमान तहसील बेगमगंज जिला रायसेन.<br><b>उत्तर में</b> —तहसील राहतगढ़ एवं सागर जिला सागर.<br><b>दक्षिण में</b> —तहसील केसली जिला सागर.    |
| 2    | सागर             | सागर     | जैसीनगर       | वर्तमान तहसील सागर का 121 के स्थान पर 188 प.ह.नं. (नवीन पुर्नगठन के अनुसार) 09 रा.नि.मं. होंगे.   | <b>पूर्व में</b> —तहसील पथरिया, गढ़ाकोटा जिला सागर.<br><b>पश्चिम में</b> —तहसील राहतगढ़ जिला सागर.<br><b>उत्तर में</b> —तहसील बंडा जिला सागर.<br><b>दक्षिण में</b> —प्रस्तावित तहसील जैसीनगर जिला सागर. |

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती ओगरे, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2017

क्र. 2196-2623-2017-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (सहपठित नियम 2016) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

अनुसूची

| क्र.<br>(1) | जिले का नाम<br>(2) | सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग<br>(3)   |
|-------------|--------------------|---|
| 1           | अलीराजपुर          | 1. श्रीमती मंजूलता जोशी, आरक्षित (महिला)  |
| 2           | खण्डवा             | 2. श्रीमती उषा अत्रे राजवैद्य, आरक्षित (महिला)  |
| 3           | रतलाम              | 1. श्रीमती रेखा जोहरी, आरक्षित (महिला)<br>2. श्री धनश्याम पुरोहित, अनारक्षित            |
| 4           | बड़वानी            | श्री आनंद सोनी, अनारक्षित   |
| 5           | उज्जैन             | 1. श्रीमती अरूणा सारस्वत, आरक्षित (महिला)<br>2. श्री ओमप्रकाश गुप्ता, अनारक्षित         |
| 6           | विदिशा             | 1. सुश्री मंजरी जैन, आरक्षित (महिला)<br>2. श्री राजेश नाडीवाल, अनारक्षित                |
| 7           | रायसेन             | श्री दिनेश कुमार गुप्ता, अनारक्षित  |
| 8           | बैतूल              | 1. श्रीमती चन्द्रकांता सराफ, आरक्षित (महिला)<br>2. श्री अनिल रघुवंशी, अनारक्षित         |
| 9           | सागर               | श्रीमती प्रीति यादव, आरक्षित (महिला)  |
| 10          | छतरपुर             | 1. श्रीमती निशि सिंह, आरक्षित (महिला)<br>2. श्री हेमेन्द्र सिंह, अनारक्षित              |
| 11          | पन्ना              | श्रीमती रूप नगायच, आरक्षित (महिला)  |
| 12          | ग्वालियर           | 1. श्रीमती शकुंतला सिंह, आरक्षित (महिला)<br>2. श्री सुमंत कुमार शर्मा, अनारक्षित        |
| 13          | जबलपुर             | 1. श्रीमती मायादास गोहिया, आरक्षित (महिला)<br>2. श्री श्रीनिवास तिवारी, अनारक्षित       |
| 14          | नरसिंहपुर          | 1. श्रीमती प्रवीणा गोस्वामी, आरक्षित (महिला)<br>2. श्री सुनील कुमार शर्मा, अनारक्षित    |
| 15          | सिवनी              | 1. श्रीमती संध्या चंदेल, आरक्षित (महिला)<br>2. श्री सत्यनारायण अग्रवाल, अनारक्षित       |
| 16          | रीवा               | 1. श्रीमती मनीषा पाठक, आरक्षित (महिला)<br>2. श्री कृष्णापाल शर्मा, अनारक्षित            |
| 17          | सिंगरौली           | 1. श्रीमती जयामाला शर्मा, आरक्षित (महिला)<br>2. श्री विनोद कुमार सिंह परिहार, अनारक्षित |
| 18          | शहडोल              | 1. श्रीमती अर्पणा उपाध्याय, आरक्षित (महिला)<br>2. श्री नत्थुलाल सोनी, अनारक्षित         |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पंकज शर्मा, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 17-अ-82-16-17-1058

बैतूल, दिनांक 18 अगस्त 2017

### प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

#### अनुसूची-1

| जिला           | तहसील       | नगर/ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल(हे०में) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी                        | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                      |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--|---|
| 1              | 2           | 3           | 4                      | 5  | 6   |
| बैतूल (म०प्र०) | घोड़ाडोंगरी | घोड़ाडोंगरी | 0.119                  | सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल | बरेठा -- घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु |

#### अनुसूची - 2

#### ( प्रभावित धारकों की सूची )

| अ०क्र० | खसरा नम्बर | रकबा हे० में से | अर्जन की भूमि का रकबा हे० में | धारक का नाम  |
|--------|------------|-----------------|-------------------------------|--|
| 1      | 2          | 3               | 4                             | 5  |
| 1      | 421/7      | 0.020           | 0.002                         | मालती जौजे मंगलसिंह गोंड सा०देह                    |
| 2      | 421/5      | 0.024           | 0.007                         | सरस्वती जौजे गुलाब गायकी सा०देह                    |
| 3      | 421/1      | 0.454           | 0.013                         | पार्वतीबाई जौजे कमलसिंग गोंड सा०देह                |
| 4      | 421/6      | 0.028           | 0.016                         | फूलवती पिता जगनू गोंड सा० देह                      |
| 5      | 421/4      | 0.283           | 0.056                         | प्रतापसिंग व० मोहकमसिंग गोंड सा० देह               |
| 6      | 347        | 0.032           | 0.025                         | मनोहर, व० हरिप्रसाद, गोदाबाई बेवा हरिप्रसाद सा०देह |
| योग    |            |                 | 0.119                         |  |

1- चूँकि बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 20-अ-82-16-17-9059

**प्रारंभिक अधिसूचना**

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

**अनुसूची-1**

| जिला           | तहसील  | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल(हे०में) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी        | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                  |
|----------------|--------|-----------|------------------------|--|---|
| 1              | 2      | 3         | 4                      | 5  | 6   |
| बैतूल (म०प्र०) | शाहपुर | पारु      | 0.015                  | सहायक महाप्रबंधक म०प्र०सड़क विकास निगम बैतूल | बरेठा-घोडाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु |

**अनुसूची - 2****( प्रभावित धारको की सूची )**

| अ०क्र० | खसरा नम्बर | रकबा हे० में से | अर्जन की भूमि का रकबा हे० में | धारक का नाम  |
|--------|------------|-----------------|-------------------------------|--|
| 1      | 2          | 3               | 4                             | 5  |
| 1      | 34/2       | 2.600           | 0.015                         | मनोहर, बनवारी, बट्टीजानी, बनारसी व० बिजेलाल, जाति कतिया सा०देह |
| योग    |            |                 | 0.015                         |  |

1- चूंकि बरेठा-घोडाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 19-अ-82-16-17-9060

**प्रारंभिक अधिसूचना**

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

**अनुसूची-1**

| जिला           | तहसील  | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल(हे0में) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी                      | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                   |
|----------------|--------|-----------|------------------------|--|--|
| 1              | 2      | 3         | 4                      | 5  | 6  |
| बैतूल (म0प्र0) | शाहपुर | बुड्डी    | 0.072                  | सहायक महाप्रबंधक म0प्र0सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल | बरेठा-घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु |

**अनुसूची - 2****( प्रभावित धारको की सूची )**

| अ0क्र0 | खसरा नम्बर | रकबा हे0 में से | अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में | धारक का नाम                  |
|--------|------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1      | 2          | 3               | 4                             | 5                            |
| 1      | 103        | 1.862           | 0.072                         | रामजीलाल व0 मंजू गौड, सा0देह |
| योग    |            |                 | 0.072                         |                              |

1- चूंकि बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 16-अ-82-16-17-9061

## प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची-1

| जिला           | तहसील       | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल(हे०में) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी                        | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                     |
|----------------|-------------|-----------|------------------------|--|--|
| 1              | 2           | 3         | 4                      | 5  | 6  |
| बैतूल (म०प्र०) | घोड़ाडोंगरी | धाड़गांव  | 4.357                  | सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल | बरेठा - घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु |

## अनुसूची - 2

( प्रभावित धारकों की सूची )

| अ०क्र० | खसरा नम्बर | रकबा हे० में से | अर्जन की भूमि का रकबा हे० में | धारक का नाम   |
|--------|------------|-----------------|-------------------------------|---|
| 1      | 2          | 3               | 4                             | 5   |
| 1      | 176/1      | 0.670           | 0.041                         | सोमता बेवा हुल्कर, सतीष, संजय, अक्षय व० हुल्कर, तारा, सरस्वती, रामकली पिता हुल्कर, शंकर, किसन, भगवानदास, सीताराम व० प्यारेलाल, बतिया बेवा प्यारेलाल जाति गोंड सा० देह |
| 2      | 212/1      | 0.684           | 0.041                         | बीसू व० जबरसिंग, मिन्दो पुत्री जबरसिंग, दीनू व० सुमरसिंग जाति गोंड सा० देह  |
| 3      | 227/2      | 0.510           | 0.137                         | मुकेशसिंग व० उमेशसिंग जाति राजपूत सा० घोड़ाडोंगरी   |
| 4      | 238        | 0.537           | 0.162                         | भगवतीचरण व० हज्जू जाति कतिया सा० देह  |
| 5      | 240        | 1.655           | 0.121                         | ओझा, कुमानसिंग व० फागू जाति गोंड सा० देह  |
| 6      | 229/3      | 1.503           | 0.480                         | हीरालाल व० हज्जू जाति कतिया सा० देह   |
| 7      | 230/1      | 0.446           | 0.242                         | जुगलकिशोर व० चिरोजीलाल अग्रवाल सा० घोड़ाडोंगरी  |
| 8      | 244/1      | 0.942           | 0.068                         | कैलाश व० बुद्धू जाति गोंड सा० देह   |
| 9      | 244/3      | 0.944           | 0.068                         | गुलाब व० बुद्धू जाति गोंड सा० देह   |
| 10     | 244/4      | 0.945           | 0.068                         | गोपाल व० बुद्धू जाति गोंड सा० देह   |
| 11     | 257/1      | 0.500           | 0.500                         | सुगरती पुत्री सम्भू जाति गोंड सा० देह   |
| 12     | 330/1      | 0.785           | 0.284                         | कल्लौ जौजे सुन्दर जाति कतिया सा० देह  |
| 13     | 229/1      | 0.935           | 0.500                         | भगवतीचरण व० हज्जू जाति कतिया सा० देह  |



|     |       |       |       |  |
|-----|-------|-------|-------|--|
| 14  | 333   | 1.765 | 0.065 | बेनी व० गरभसिंग, विपत, लिक्खू व० जुंगी, मुन्नील, छोटू व० जुंगी, रधिया बेवा जुंगी, बनवारी, रजनी ना बा व० सुरेश वली आजी मां शांति, शांति बेवा गोरे जाति गोंड सा रातामाटी ।   |
| 15  | 335/1 | 0.520 | 0.520 | जानकी बेवा चिक्कू, फकीरचंद व० चिक्कू, रामकली पुत्री मंदरू, रामवती बेवा रामसा, रामेश्वर, रामदास व० रामसा, जसोदा पुत्री रामसा जाति गोंड सा देह   |
| 16  | 337   | 1.335 | 0.200 | सदल व० बिरसा, सुन्दरी, सुन्दो, सम्मो पुत्री बिरसा, दसमा पुत्री शोभा, दिनेश ना बा व० मदरसा, वलीभाई मनोहर, व० तुलसी नन्दिया बेवा भंगी, ब्रजलाल व० भंगी, रामसिंग, मुंशी व० सुखलाल, धरमवती व० तुलसी, मनोहर, राजू व० तुलसी मीरा पुत्री तुलसी जाति गोंड सा० देह  |
| 17  | 338   | 1.647 | 0.287 | सुशीला पति गिरधारी जाति गोंड सा० देह   |
| 18  | 339   | 0.700 | 0.040 | दसन व० बुद्धो जाति ठाटिया सा० देह  |
| 19  | 353   | 1.485 | 0.200 | झाड़ू, मांडू व० पन्नी जाति परधान सा० रातामाटी  |
| 20  | 354   | 1.052 | 0.212 | बिसराम, बिसन, किसन, पांडू व० सुक्की, श्यामवती पिता सुक्की, संतरी बेवा रतन, गिरधारी, सरदार, दरबारी व० रतन, सुशीला, सविता, पिता रतन, बातू व. मंगू इनको पिता मंगू बुद्धो पिता फुन्दन, जगन, मदन, चंदन, चदरजा, व० तातू, मांजू व० चंदरू, भागा, जंबरसिंग व० जौन्दे, कमल, कुमाल, अम्बर व. किशोरी, मालती पिता किशोरी, रामप्यारी बेवा किशोरी, श्यामजी व० रंजू, रामचरण, सोमता, सेन्तू ना बा व रंजू वली भाई श्यामजी, कलेशिया पिता रंजू, शिवराम, इंदर, जीवन, प्रताव व० देलू, कमला पिता देजू जाति गोंड सा० देह |
| 21  | 241/1 | 0.289 | 0.050 | चन्द्रकला पिता चतरू जाति गोंड सा० देह  |
|     | 241/2 | 0.290 | 0.071 |  |
| योग |       |       | 4.357 |  |

- 1- चूंकि बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु, हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 15-अ-82-16-17-9062

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची-1

| जिला           | तहसील       | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल(हे०में) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी                        | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                     |
|----------------|-------------|-----------|------------------------|--|--|
| 1              | 2           | 3         | 4                      | 5  | 6  |
| बैतूल (म०प्र०) | घोड़ाडोंगरी | रातामाटी  | 1.973                  | सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल | बरेठा - घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु |

## अनुसूची - 2

( प्रमावित धारको की सूची )

| अ०क्र० | खसरा नम्बर  | रकबा हे० में से | अर्जन की भूमि का रकबा हे० में | धारक का नाम  |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--|
| 1      | 2           | 3               | 4                             | 5  |
| 1      | 428 / 1     | 0.403           | 0.242                         | शिववती पति मन्नू जाति परधान सा०देह   |
| 2      | 434         | 0.551           | 0.080                         | भूता, जोगी व० बारे जाति गोंड सा० देह   |
| 3      | 435 / 1     | 0.251           | 0.051                         | मोती, कानू, मानू, मानक व० देऊ हिस्सो, परसो, मुन्नी पुत्री देऊ गोंड सा०देह  |
| 4      | 435 / 2     | 0.126           | 0.026                         | सालक व० मदन, रामकली, रामवती पुत्री मदन जाति गोंड सा०देह  |
| 5      | 435 / 3     | 0.125           | 0.025                         | रखिया बेवा बालमुकुन्द हरिशचन्द्र व० बालमुकुन्द सनोता पिता बालमुकुन्द जाति गोंड सा० देह   |
| 6      | 436 / 3     | 0.160           | 0.094                         | कृष्णपाल व० सुरपाल जाति गोंड सा० घोड़ाडोंगरी   |
| 7      | 539         | 0.534           | 0.134                         | सुदिया जौजे इंदर जाति गोंड सा० देह   |
| 8      | 541 / 3     | 0.320           | 0.200                         | देवसा व० लल्लू, बिंदिया बेवा, बातु, सीडू, माडू, व० बातु जाति ठाटिया सा० देशावाड़ी  |
| 9      | 542         | 0.906           | 0.151                         | बनवारी, रामेश्वर व० फुन्दन, नबिया बेवा मोती, हिरदे, बिरजलाल, इमरत, व० मोती, ललीता, इमरती, पुत्री महाजन, मकल, बालचंद, ज्ञानसिंग, केशो, जहागीर, दरबारी व० धाडू, ललिता पिता धाडू, सिरदास, मुन्नालाल व० धाडू जाति गोंड सा० देह |
| 10     | 544 / 1 / 1 | 0.178           | 0.177                         | शंकर व० सालक जाति गोंड सा० देह   |
| 11     | 547 / 1     | 2.023           | 0.160                         | ओझा व० हन्नू जाति गोंड सा० देह   |

|     |       |       |       |  |
|-----|-------|-------|-------|--|
| 12  | 574/2 | 1.089 | 0.160 | बिसनू व० ननकू जाति गोंड सा० देह  |
| 13  | 567/2 | 0.664 | 0.303 | बुट्टो बेवा चिक्कू घूडू रामचरण, नाबा व० चिक्कू वली मां बुट्टो, जगनू व० रामदीन, बतेसिया बेवा जगन, सुशीला ना बा व० जगन वली मां बतेसिएया, जुगनी बेवा रामदीन, शिवराम, लखन, अखिलेश ना बा व० रामदीन वली मां जुगनी, मनोता बेवा नान्हू संजय ना बा व नान्हू सुन्दो, शोभा शान्ति, महन्ती पुत्री नान्हू वली मां मनोता जाति गोंड सा० देह |
| 14  | 569   | 1.335 | 0.035 | भूरिया बेवा ननकू जाति गोंड सा० देह   |
| 15  | 524   | 0.262 | 0.020 | बेनी व० गरमसिंग, विपिन, लिक्खू व० जुंगी, मुन्नीलाल, छोटे नाबा व० जुंगी वली मां रधिया, रधिया बेवा जुंगी, रजनी ना बा व० सुरेश वली काका बनवारी, बनवारी व. गोरेलाल, शांता बेवा गोरेलाल जाति गोंड सा० देह   |
| 16  | 525   | 1.060 | 0.115 | रामसिंग, मुंशी व० सुखलाल, सदल व० बिरसा, कलिया पुत्री सुखलाल, मनोहर व. तुलसी, मीरा पुत्री तुलसी, राजू ना बा व. तुलसी वली मां धरमवती, धरमवती बेवा तुलसी जाति गोंड सा० देह  |
| योग |       |       | 1.973 |  |

1- चूँकि बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु, हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू-अर्जन अधिकारी) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्रमांक 8-अ-82-14-15-9157

बैतूल, दिनांक 22 अगस्त 2017

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

## अनुसूची-1

| जिला           | तहसील   | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल(हे०में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन  |
|----------------|---------|-----------|------------------------|---|
| 1              | 2       | 3         | 4                      | 5   |
| बैतूल (म०प्र०) | भैसदेही | डोडाजाम   | 4.314                  | डोडाजाम जलाशय योजना के बांध, नहर एवं स्पिल चैनल हेतु पूरक अर्जन । |

## अनुसूची - 2( प्रभावित धारकों की सूची )

| अ०क्र० | खसरा नम्बर | रकबा हे० में | अर्जन की भूमि का रकबा हे० में | धारक का नाम  |
|--------|------------|--------------|-------------------------------|--|
| 1      | 38/1ड      | 0.401        | 0.858                         | सोनाजी, भूरिया, लालजी व० सकाराम कोरकू सा० देह                      |
|        | 100/1भ     | 0.457        |                               |  |
|        | 100/1त्र   |              |                               |  |
| 2      | 38/1ख      | 3.703        | 0.200                         | कोलई बेवा चूचा, सोनाजी, पूनाजी व० चूचा कोरकू सा० देह               |
| 3      | 48         | 0.890        | 0.390                         | मोतीराम, पुसराम, सुखराम, सखाराम, मोतीलाल व० भाकलू सा० देह          |
| 4      | 100/1की    | 0.226        | 0.226                         | रामलाल व० मनाजी कोरकू सा० देह                                      |
| 5      | 100/1फ     | 0.332        | 0.400                         | रामकली पिता सुखलाल सा० देह   |
|        | 100/1स     | 0.591        |                               |  |
| 6      | 100/1कौ    | 0.291        | 0.551                         | झापरी व० लोक्या कोरकू सा० देह                                      |
|        | 100/1क1    | 0.260        |                               |  |
| 7      | 100/1त्र   | 0.397        | 0.988                         | मोतीलाल व० झापूला, मुंगीलाल व० घिस्या, सुन्दरलाल व० झापूला सा० देह |
|        | 100/1द     | 0.841        |                               |  |
| 8      | 55         | 0.445        | 0.201                         | काड़मा, छोटे व० महासिंग सा० देह                                    |
|        | 56         | 0.789        |                               |  |
| योग    |            |              | 4.314                         |  |

(2) चूंकि डोडाजाम जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का पूरक अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 13-अ-82-16-17-9184

**प्रारंभिक अधिसूचना**

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

**अनुसूची-1**

| जिला           | तहसील       | नगर/ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल(हे०में) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी                          | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--|---|
| 1              | 2           | 3           | 4                      | 5  | 6   |
| बैतूल (म०प्र०) | घोड़ाडोंगरी | घोड़ाडोंगरी | 0.061                  | सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल । | बैतूल-सारनी-टेकाढाना-परासिया मार्ग हेतु । |

**अनुसूची - 2**

( प्रभावित धारकों की सूची )

| अ०क्र० | खसरा नम्बर | रकबा हे० में हे० | अर्जन की भूमि का रकबा हे० में | धारक का नाम  |
|--------|------------|------------------|-------------------------------|--|
| 1      | 2          | 3                | 4                             | 5  |
| 1      | 196/2      | 0.437            | 0.041                         | खडकसिंग, छप्पनसिंग मेहन्ती पिता मधुकर, गोंड सा०देह |
| 2      | 197/1      | 0.808            | 0.020                         | शशि जौजे अनंत कुमार मेहतो सा०देह                   |
| योग    |            |                  | 0.061                         |  |

1- चूंकि बैतूल-परासिया सड़क निर्माण परियोजना हेतु, हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा; अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 14-अ-82-16-17-9188

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची-1

| जिला           | तहसील       | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल(हे०में) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी                          | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                |
|----------------|-------------|-----------|------------------------|--|---|
| 1              | 2           | 3         | 4                      | 5  | 6   |
| बैतूल (म०प्र०) | घोड़ाडोंगरी | पांढरा    | 0.150                  | सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल । | बैतूल-सारनी-टेकाढाना-परासिया मार्ग हेतु । |

## अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

| अ०क्र० | खसरा नम्बर | रकबा हे० में से | अर्जन की भूमि का रकबा हे० में | धारक का नाम                          |
|--------|------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2          | 3               | 4                             | 5                                    |
| 1      | 169/2      | 0.511           | 0.150                         | ऊज्जन व० जंगलसिंह जाति कोरकू सा० देह |
| योग    |            |                 | 0.150                         |                                      |

- 1- चूँकि बैतूल-परासिया सड़क निर्माण परियोजना हेतु, हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का आरांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 21-अ-82-16-17-9056

बैतूल, दिनांक 18 अगस्त 2017

**प्रारंभिक अधिसूचना**

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

**अनुसूची-1**

| जिला           | तहसील       | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल(हे०में) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी                        | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                     |
|----------------|-------------|-----------|------------------------|--|--|
| 1              | 2           | 3         | 4                      | 5  | 6  |
| बैतूल (म०प्र०) | घोड़ाडोंगरी | पीपरी     | 1.254                  | सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल | बरेठा - घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु |

**अनुसूची - 2**

( प्रभावित धारकों की सूची )

| अ०क्र० | खसरा नम्बर | रकबा हे० में से | अर्जन की भूमि का रकबा हे० में | धारक का नाम   |
|--------|------------|-----------------|-------------------------------|---|
| 1      | 2          | 3               | 4                             | 5   |
| 1      | 151        | 2.636           | 0.122                         | इंदल, गोरे, भूरे व० मंगल, बलिया बेवा मंगल जाति गोंड सा० देह     |
| 2      | 152        | 4.112           | 0.462                         | बालम, सुन्दर व० ओझा, जाति गोंड सा० देह                          |
| 3      | 153        | 0.332           | 0.090                         | भूता, जोगी व० बरेलाल जाति गोंड सा० सालीढाना                     |
|        | 158        | 1.044           | 0.120                         |   |
| 4      | 169/1      | 0.840           | 0.245                         | भागेया बेवा घाड़सा, रामकिशन, शिवलाल व० घाड़सा जाति गोंड सा० देह |
| 5      | 169/2      | 0.840           | 0.135                         | जबरसिंग व० जगत जाति गोंड सा० देह                                |
| 6      | 169/4      | 0.393           | 0.080                         | गदरासिंग व० बिरसा जाति गोंड सा० देह                             |
| योग    |            |                 | 1.254                         |   |

1- चूंकि बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु, हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निवारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुदिभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 18-अ-82-16-17-9057

**प्रारंभिक अधिसूचना**

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013:) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

**अनुसूची-1**

| जिला           | तहसील  | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल(हे०में) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी           | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                   |
|----------------|--------|-----------|------------------------|---|--|
| 1              | 2      | 3         | 4                      | 5   | 6  |
| बैतूल (म०प्र०) | शाहपुर | देशावाडी  | 0.245                  | सहायक महाप्रबंधक विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल | बरेठा-घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु |

**अनुसूची - 2****( प्रभावित धारको की सूची )**

| अ०क्र० | खसरा नम्बर | रकबा हे० में से | अर्जन की भूमि का रकबा हे० में | धारक का नाम                         |
|--------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | 2          | 3               | 4                             | 5                                   |
| 1      | 491        | 1.348           | 0.245                         | मुन्नीलाल व० गुलदन जाति गोंड सा०देह |
| योग    |            |                 | 0.245                         |                                     |

1- चूंकि बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शशांक मिश्रा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.**



कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

16874/18-09-2017

—: अनुसूची :-

क्रमांक /भू-अर्जन/2016-17 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची ( 1 ) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु प्रभावित भूमि

| स.क्र.           | ग्राम         | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर | प्रयोजन   |
|------------------|---------------|---|---|
| ( 1 )            | ( 2 )         | ( 3 )                                     | ( 4 )   |
| 1                | हाथीकुमारा    | 7.746                                     | मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु |
| 2                | रायपूरियाघाटा | 0.140                                     |   |
| 3                | समेली         | 2.353                                     |   |
| <b>कुलयोग :-</b> |               | <b>10.239</b>                             |   |

| <b>अनुसूची (2)</b>   |  |           |       |       |
|--|--|-----------|-------|-------|
| <b>मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु प्रभावित भूमि</b> |  |           |       |       |
| <b>ग्राम :- हाथीकुमारा</b>   |  |           |       |       |
| 1  | मदनलाल पिता बैजनाथ जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी                          | 203/1/2/1 | 0.241 | 0.200 |
|  | योग  | 1         | 0.241 | 0.200 |
| 2  | शिवनारायण पिता किशोर जाति गाडरी नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी                        | 203/6/1   | 0.632 | 0.030 |
|  | योग  | 1         | 0.632 | 0.030 |
| 3  | रमेश पिता चुन्नीलाल, सम्पतबाई बेवा चुन्नीलाल जाति तेली नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी | 203/2/1   | 0.381 | 0.289 |
|  | योग  | 1         | 0.381 | 0.289 |
| 4  | रामचरण पिता जगन्नाथ जाति धोबी नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी                          | 203/2/4   | 0.379 | 0.289 |
|  | योग  | 1         | 0.379 | 0.289 |
| 5  | शम्भूलाल पिता देवीराम जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी                       | 203/2/3   | 0.379 | 0.200 |
|  | योग  | 1         | 0.379 | 0.200 |
| 6  | रामबगस पिता देवीराम जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी                         | 203/2/2   | 0.379 | 0.200 |
|  | योग  | 1         | 0.379 | 0.200 |
| 7  | सिद्ध, रामचरण, गोकुल पिता जगन्नाथ नि. ग्राम भूस्वामी                               | 203/3     | 1.012 | 0.812 |
|  | योग  | 1         | 1.012 | 0.812 |
| 8  | शंभुलाल पिता देवीलाल जाति धोबी नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी                         | 203/5/2/2 | 0.373 | 0.013 |
|  | योग  | 1         | 0.373 | 0.013 |

|    |  |           |       |       |
|----|--|-----------|-------|-------|
| 9  | रामबगस पिता देवीराम जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी   | 203/5/2/1 | 1.308 | 0.033 |
|    | योग  | 1         | 1.308 | 0.033 |
| 10 | भागीरथ पिता सालगराम जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी   | 203/5/1/1 | 0.679 | 0.080 |
|    | योग  | 1         | 0.679 | 0.080 |
| 11 | हरिप्रसाद, ओमप्रकाश पिता मांगीलाल, कांताबाई बेवा मांगीलाल, मुन्नीबाई बेवा मांगीलाल, चंदाबाई, धापूबाई, लीलाबाई, रूकमणीबाई पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी | 203/4/1   | 0.632 | 0.430 |
|    | योग  | 1         | 0.632 | 0.430 |
| 12 | सीताराम पिता खेमचंद जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी   | 203/4/2   | 0.632 | 0.126 |
|    | योग  | 1         | 0.632 | 0.126 |
| 13 | गोरधन पिता सेवा जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी   | 203/7/1   | 1.392 | 0.390 |
|    | योग  | 1         | 1.392 | 0.390 |
| 14 | गोरधन पिता सेवा जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी   | 172/3/1   | 1.682 | 0.844 |
|    | योग  | 1         | 1.682 | 0.844 |
| 15 | गोरधन पिता सेवा जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी   | 172/2     | 0.557 | 0.557 |
|    | योग  | 1         | 0.557 | 0.557 |
| 16 | शिवनारायण, हेमराज पिता रामप्रसाद, दिलीप पिता रामप्रसाद जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी  | 172/3/2   | 1.985 | 0.430 |
|    | योग  | 1         | 1.985 | 0.430 |
| 17 | देवीलाल पिता मांगीलाल जाति चमार नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी  | 165/2     | 0.910 | 0.180 |
|    | योग  | 1         | 0.910 | 0.180 |
| 18 | देवचंद पिता रामलाल जाति चमार नि. ग्राम परसूलिया भूस्वामी   | 165/1     | 0.911 | 0.180 |
|    | योग  | 1         | 0.911 | 0.180 |

|    |   |         |       |       |
|----|---|---------|-------|-------|
| 19 | रामचरण पिता सेवा जाति कुम्हार नि.<br>ग्राम परसूलिया भूस्वामी      | 172/1   | 0.253 | 0.120 |
|    | योग   | 1       | 0.253 | 0.120 |
| 20 | देवीलाल पिता मांगीलाल जाति चमार नि.<br>ग्राम भूस्वामी             | 163     | 1.265 | 0.560 |
|    | योग   | 1       | 1.265 | 0.560 |
| 21 | देवीलाल पिता मांगीलाल जाति चमार नि.<br>ग्राम भूस्वामी             | 164     | 0.670 | 0.390 |
|    | योग   | 1       | 0.670 | 0.390 |
| 22 | श्री बल्लभ पिता पन्नालाल जाति ब्राह्मण<br>नि. ग्राम भूस्वामी      | 128/2   | 0.506 | 0.060 |
|    | योग   | 1       | 0.506 | 0.060 |
| 23 | रामचन्द्र पिता पन्नालाल जाति ब्राह्मण नि.<br>ग्राम भूस्वामी       | 128/3   | 0.506 | 0.506 |
|    | योग   | 1       | 0.506 | 0.506 |
| 24 | हरिओम पिता रामनारायण जाति ब्राह्मण नि.<br>ग्राम भूस्वामी          | 130/1   | 1.126 | 0.050 |
|    | योग   | 1       | 1.126 | 0.050 |
| 25 | प्रेमनारायण पिता रामनारायण जाति ब्राह्मण<br>नि. ग्राम भूस्वामी    | 130/2/1 | 1.392 | 0.300 |
|    | योग   | 1       | 1.392 | 0.300 |
| 26 | अशोक कुमार पिता रामनारायण जाति<br>ब्राह्मण नि. ग्राम भूस्वामी     | 126/1/1 | 0.057 | 0.057 |
|    | योग   | 1       | 0.057 | 0.057 |
| 27 | दयाराम, रूगनाथ पिता घीसालाल जाति<br>दांगी नि. ग्राम भूस्वामी      | 122/1   | 0.126 | 0.100 |
|    | योग   | 1       | 0.126 | 0.100 |
| 28 | नरेन्द्र पिता श्री बल्लभ जाति ब्राह्मण नि.<br>ग्राम भूस्वामी      | 121/2   | 0.620 | 0.030 |
|    | योग   | 1       | 0.620 | 0.030 |
| 29 | राजेन्द्र कुमार पिता ओकारबक्ष जाति<br>ब्राह्मण नि. ग्राम भूस्वामी | 121/3   | 0.620 | 0.050 |
|    | योग   | 1       | 0.620 | 0.050 |

|                               |  |           |               |              |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|--------------|
| 30                            | प्रेमनारायण पिता रामनारायण जाति ब्राह्मण<br>नि. ग्राम भूस्वामी | 120/3/1   | 0.183         | 0.080        |
|                               | योग  | 1         | 0.183         | 0.080        |
| 31                            | अशोक कुमार पिता रामनारायण जाति<br>ब्राह्मण नि. ग्राम भूस्वामी  | 120/3/2   | 0.183         | 0.080        |
|                               | योग  | 1         | 0.183         | 0.080        |
| 32                            | शिवनारायण पिता विश्वनाथ जाति ब्राह्मण<br>नि. ग्राम भूस्वामी    | 119/1/3   | 0.133         | 0.030        |
|                               | योग  | 1         | 0.133         | 0.030        |
| 33                            | अनोखीलाल पिता विश्वनाथ जाति ब्राह्मण<br>नि. ग्राम भूस्वामी     | 119/1/4   | 0.132         | 0.050        |
|                               | योग  | 1         | 0.132         | 0.050        |
|                               | <b>कुलयोग :-</b>   | <b>33</b> | <b>22.236</b> | <b>7.746</b> |
| <b>ग्राम :- रायपुरियाघाटा</b> |  |           |               |              |
|                               |  |           |               |              |
| 1                             | दिलीप कुमार पिता रामचरण जाति सोनी<br>नि. भोजपुरिया भूमि स्वामी | 377/4/1   | 2.489         | 0.020        |
|                               | योग  | 1         | 2.489         | 0.020        |
| 2                             | रामचरण पिता किशनलाल जाति बेलदार<br>नि. ग्राम भूमि स्वामी       | 377/5/1   | 0.862         | 0.025        |
|                               | योग  | 1         | 0.862         | 0.025        |
| 3                             | अमहद अली पिता असरफ अली जाति<br>मुसलमान नि. ब्यावरा भूमि स्वामी | 377/14/1  | 3.137         | 0.095        |
|                               | योग  | 1         | 3.137         | 0.095        |
|                               | <b>कुलयोग :-</b>   | <b>3</b>  | <b>6.488</b>  | <b>0.140</b> |

| ग्राम :- समेली |   |            |               |              |
|----------------|---|------------|---------------|--------------|
| 1              | अमरसिंह पिता प्यारजी नि. ग्राम भूस्वामी   | 301/18/1   | 1.568         | 0.900        |
|                | योग   | 1          | 1.568         | 0.900        |
| 2              | नारायण पिता नंदराम नि. ग्राम भूस्वामी   | 306/1/4    | 0.311         | 0.002        |
|                | योग   | 1          | 0.311         | 0.002        |
| 3              | केसरसिंह पिता हजारीलाल नि.ग्राम भूस्वामी  | 301/19/3/3 | 0.164         | 0.100        |
|                | योग   | 1          | 0.164         | 0.100        |
| 4              | नाथूलाल पिता हजारीलाल नि.ग्राम भूस्वामी   | 301/19/3/1 | 0.165         | 0.070        |
|                | योग   | 1          | 0.165         | 0.070        |
| 5              | नाथूलाल पिता हजारीलाल नि.ग्राम भूस्वामी   | 301/21/1   | 2.150         | 0.642        |
|                | योग   | 1          | 2.150         | 0.642        |
| 6              | बलराम पिता प्रभुलाल नि.ग्राम भूस्वामी   | 301/21/2   | 0.379         | 0.074        |
|                | योग   | 1          | 0.379         | 0.074        |
| 7              | अंगुरसिंह, लहरसिंह पिता गुलाबसिंह, सुनील पिता रोशनलाल जाति भानमता नि. ग्राम भूस्वामी                          | 301/17     | 2.529         | 0.010        |
|                | योग   | 1          | 2.529         | 0.010        |
| 8              | पूनमचन्द पिता लक्ष्मण नि. ग्राम भूस्वामी  | 301/11/4/1 | 0.202         | 0.050        |
|                | योग   | 1          | 0.202         | 0.050        |
| 9              | बापूलाल पिता दौला नि. ग्राम भूस्वामी  | 301/11/5   | 0.404         | 0.100        |
|                | योग   | 1          | 0.404         | 0.100        |
| 10             | देवचन्द पिता किशनलाल नि. ग्राम भूस्वामी   | 301/11/6   | 0.202         | 0.050        |
|                | योग   | 1          | 0.202         | 0.050        |
| 11             | रामकुवरबाई बेवा कमलसिंह, राहुल, पवन नाबा. पिता कमलसिंह सर.पर. माता रामकुवरबाई बेवा कमलसिंह नि. ग्राम भूस्वामी | 301/11/4/2 | 0.202         | 0.050        |
|                | योग   | 1          | 0.202         | 0.050        |
| 12             | पवन, होकम, संतोष पिता कालू सावित्रीबाई बेवा कालू नि. ग्राम भूस्वामी   | 230/29     | 2.529         | 0.305        |
|                | योग   | 1          | 2.529         | 0.305        |
|                | <b>कुलयोग :-</b>  | <b>12</b>  | <b>10.805</b> | <b>2.353</b> |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

16881/18-09-2017

## -: अनुसूची :-

कमांक / भू-अर्जन/2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 14/अ-82/2014-2015 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में पाटनखुर्द तालाब निर्माण तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पाटनखुर्द एवं मुरारिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूँकि पाटनखुर्द तालाब का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

## -: अनुसूची ( 1 ) :-

पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित

तहसील :- राजगढ़

| स.क.       | विवरण     | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर |         |       |
|------------|-----------|---|---------|-------|
|            |           | सिंचित                                    | असिंचित | योग   |
| ( 1 )      | ( 2 )     | ( 3 )                                     | ( 4 )   | ( 5 ) |
| 1          | पाटनखुर्द | 0.830                                     | 0.506   | 1.336 |
| 2          | मुरारिया  | 0.310                                     | 2.302   | 2.612 |
| कुल योग :- |           | 1.140                                     | 2.808   | 3.948 |

## -: अनुसूची ( 2 ) :-

पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम पाटनखुर्द

| स.क.  | प्रभावित कृषक का नाम   | खसरा नंबर | रकबा  | प्रभावित भूमि |         |       |
|---|--|-----------|-------|---------------|---------|-------|
|   |  |           |       | सिंचित        | असिंचित | योग   |
| 1   | 2  | 3         | 4     | 6             | 7       | 8     |
| 1   | बीरम पिता अर्जुन, नारानीबाई पति बीरम जाति अ.जा.              | 473/15    | 0.500 | 0.000         | 0.500   | 0.500 |
| योग:-   |  | 1         | 0.500 | 0.000         | 0.500   | 0.500 |
| 2   | दिनेश पिता मदनलाल जाति भील                                   | 475/1/2   | 1.000 | 0.830         | 0.000   | 0.830 |
| योग:-   |  | 1         | 1.000 | 0.830         | 0.000   | 0.830 |
| 3   | बीरम पिता अर्जुन, जाति अ.जा.<br>रोडजी पिता अर्जुन जाति अ.जा. | 473/18    | 3.000 | 0.000         | 0.003   | 0.003 |
| योग:-   |  | 1         | 3.000 | 0.000         | 0.006   | 0.006 |
| महायोग :-   |  | 3         | 4.500 | 0.830         | 0.506   | 1.336 |
| पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम मुरारिया |  |           |       |               |         |       |
| 1   | जगदीश पिता डूंगा जाति अ.जा.                                  | 221       | 1.619 | 0.000         | 1.010   | 1.010 |
| योग:-   |  | 1         | 1.619 | 0.000         | 1.010   | 1.010 |
| 2   | इन्दरसिंह पिता कानिया जाति सौंधिया                           | 287/2/2/2 | 0.667 | 0.000         | 0.003   | 0.003 |
| योग:-   |  | 1         | 0.667 | 0.000         | 0.003   | 0.003 |

|    |   |             |        |       |       |       |
|----|---|-------------|--------|-------|-------|-------|
| 3  | प्रेमसिंह पिता छीतर जाति सौंधिया                              | 290/2       | 0.607  | 0.096 | 0.000 | 0.096 |
|    | योग:-   | 1           | 0.607  | 0.096 | 0.000 | 0.096 |
| 4  | घनश्याम पिता कानिया जाति सौंधिया                              | 287/2/2/3/1 | 0.614  | 0.000 | 0.253 | 0.253 |
|    | योग:-   | 1           | 0.614  | 0.000 | 0.253 | 0.253 |
| 5  | गोपाल पिता कंवरलाल जाति सौंधिया                               | 288/2       | 0.401  | 0.000 | 0.130 | 0.130 |
|    | योग:-   | 1           | 0.401  | 0.000 | 0.130 | 0.130 |
| 6  | जगदीश पिता मोतीलाल जाति सौंधिया                               | 289/5       | 0.379  | 0.000 | 0.379 | 0.379 |
|    | योग:-   | 1           | 0.379  | 0.000 | 0.379 | 0.379 |
| 7  | प्रेमसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया                             | 289/2/2     | 0.317  | 0.000 | 0.061 | 0.061 |
|    | योग:-   | 1           | 0.317  | 0.000 | 0.061 | 0.061 |
| 8  | विजयसिंह पिता छीता जाति सौंधिया                               | 292/1       | 0.644  | 0.000 | 0.060 | 0.060 |
|    | योग:-   | 1           | 0.644  | 0.000 | 0.060 | 0.060 |
| 9  | बजेसिंह पिता घीसालाल, विष्णूप्रसाद पिता कालूसिंह जाति सौंधिया | 292/2       | 1.770  | 0.000 | 0.096 | 0.096 |
|    | योग:-   | 1           | 1.770  | 0.000 | 0.096 | 0.096 |
| 10 | बापूलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया                             | 278/1       | 0.263  | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
|    | योग:-   | 1           | 0.263  | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
| 11 | मांगीलाल, नारायण पिता हीरालाल जाति सौंधिया                    | 278/4       | 0.264  | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
|    | योग:-   | 1           | 0.264  | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
| 12 | अनोखबाई पिता भंवरलाल जाति सौंधिया                             | 278/5       | 0.263  | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
|    | योग:-   | 1           | 0.263  | 0.000 | 0.020 | 0.020 |
| 13 | मुकेश पिता मांगीलाल जाति महाजन                                | 291/1/2     | 1.436  | 0.130 | 0.000 | 0.130 |
|    | योग:-   | 1           | 1.436  | 0.130 | 0.000 | 0.130 |
| 14 | नारायणसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया                           | 194/1/1     | 0.506  | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
|    | योग:-   | 1           | 0.506  | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 15 | दिनेश पिता मांगीलाल जाति महाजन                                | 291/1/1     | 1.435  | 0.084 | 0.000 | 0.084 |
|    | योग:-   | 1           | 1.435  | 0.084 | 0.000 | 0.084 |
|    | महायोग :-   | 15          | 11.185 | 0.310 | 2.302 | 2.612 |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़, तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।



16880/18-09-2017

## -: अनुसूची :-

क्रमांक /भू-अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2013-2014 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रोज्या के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

## -: अनुसूची ( 1 ) :-

## मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित भूमि

| स.क्र.    | विवरण  | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर |  |
|-----------|--------|---|--|
|           |        | कुल प्रभावित रकबा (हे.में.)               |  |
| ( 1 )     | ( 2 )  | ( 3 )                                     |  |
| 1         | रोज्या | 6.921                                     |  |
| कुलयोग :- |        | 6.921                                     |  |

## -: अनुसूची ( 2 ) :-

## मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रोज्या तालाब के उन्नयन से प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम -रोज्या

| तहसील :- राजगढ़ |   |           |                | जिला :- राजगढ़          |  |
|-----------------|---|-----------|----------------|-------------------------|--|
| स.क्र.          | प्रभावित कृषक का नाम                                  | खसरा नंबर | रकबा (हे.में.) | प्रभावित रकबा (हे.में.) |  |
| 1               | 2   | 3         | 4              | 5                       |  |
| 1               | प्रेमबाई मनोहरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी       | 104/1/1   | 0.088          | 0.055                   |  |
| किता            |   | 1         | 0.088          | 0.055                   |  |
| 2               | बंशीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी    | 614/1/1   | 0.349          | 0.349                   |  |
| किता            |   | 2         | 0.349          | 0.349                   |  |
| किता            |   | 2         | 0.698          | 0.698                   |  |
| 3               | देवीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी    | 614/1/2   | 0.696          | 0.696                   |  |
| किता            |   | 1         | 0.696          | 0.696                   |  |
| 4               | भंवरलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी    | 614/2/1   | 0.696          | 0.696                   |  |
| किता            |   | 1         | 0.696          | 0.696                   |  |
| 5               | बालूसिंह पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी | 614/3/1   | 0.523          | 0.523                   |  |
| किता            |   | 1         | 0.523          | 0.523                   |  |

| स.क. | प्रभावित कृषक का नाम  | खसरा नंबर | रकबा (हे.में.) | प्रभावित रकबा (हे.में.) |
|------|---|-----------|----------------|-------------------------|
| 1    | 2   | 3         | 4              | 5                       |
| 6    | रामप्रसाद पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी  | 614/3/2   | 0.523          | 0.523                   |
|      | किता  | 1         | 0.523          | 0.523                   |
| 7    | रामचरण, बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी  | 106/1     | 0.095          | 0.095                   |
|      |   | 106/2     | 0.095          | 0.095                   |
|      | किता  | 2         | 0.190          | 0.190                   |
| 8    | सुरेश पिता लक्ष्मीचन्द जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी  | 104/2     | 0.082          | 0.082                   |
|      |   | 105/2     | 0.076          | 0.076                   |
|      |   | 72/2      | 0.088          | 0.040                   |
|      | किता  | 3         | 0.246          | 0.198                   |
| 9    | रंगलाल पिता शिवनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी   | 105/1     | 0.076          | 0.005                   |
|      |   | 104/1/2   | 0.083          | 0.083                   |
|      |   | 78/4      | 0.114          | 0.114                   |
|      | किता  | 3         | 0.273          | 0.202                   |
| 10   | महेशकुमार पिता बापूलाल, मुकेश कुमार पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी  | 95        | 0.152          | 0.100                   |
|      |   | 88        | 0.190          | 0.190                   |
|      | किता  | 2         | 0.342          | 0.290                   |
| 11   | चंदरलाल, राधेश्याम, पिता शिवजी, पुत्री डालूबाई, सुगनबाई पिता शिवजी मु. भूलीबाई बेवा शिवजी मांगीलाल, फूलसिंह पिता सुखराम पुत्री भंवरबाई, गुलाबबाई, मेहताबाई, जानीबाई पिता सुखराम, गोपाल देव्या जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी | 89        | 0.013          | 0.013                   |
|      |   | 90        | 0.025          | 0.025                   |
|      |   | 91        | 0.025          | 0.025                   |
|      | किता  | 3         | 0.063          | 0.063                   |
| 12   | मांगीलाल, फूलसिंह पिता सुखराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी   | 92        | 0.025          | 0.015                   |
|      |   | 87        | 0.164          | 0.020                   |
|      |   | 93        | 0.152          | 0.089                   |
|      | किता  | 3         | 0.341          | 0.124                   |
| 13   | रामचन्द्र पिता जगन्नाथ, जसोदाबाई बेवा बापूलाल, कमलसिंह, कमलाबाई बेवा बापूलाल, धापूबाई, प्रेमबाई पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी  | 81/1      | 0.139          | 0.139                   |
|      |   | 83        | 0.038          | 0.038                   |
|      | किता  | 2         | 0.177          | 0.177                   |
| 14   | कमलसिंह पिता बापूलाल ना. बा. सर. जगन्नाथ पिता बापूलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी   | 82        | 0.051          | 0.051                   |
|      | किता  | 1         | 0.051          | 0.051                   |
| 15   | किशनलाल पिता रामलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी   | 81/2      | 0.139          | 0.109                   |
|      |   | 84        | 0.013          | 0.013                   |
|      | किता  | 2         | 0.152          | 0.122                   |
| 16   | रामचन्द्र, इन्दरसिंह, ग्यारसीबाई, छीतीबाई, मैनाबाई पिता श्रीलाल चतरीबाई बेवा श्रीलाल, मदनलाल पिता रूघनाथ, अमृतलाल, जगदीश पिता मोहनलाल गंगाबाई बेवा मोहनलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी                                    | 146       | 0.051          | 0.051                   |
|      |   | 147       | 0.544          | 0.040                   |
|      | किता  | 2         | 0.595          | 0.091                   |

| स.क. | प्रभावित कृषक का नाम   | खसरा नंबर | रकबा (हे.में.) | प्रभावित रकबा (हे.में.) |
|------|--|-----------|----------------|-------------------------|
| 1    | 2  | 3         | 4              | 5                       |
| 17   | रंगलाल, शिवनारायण, कुशालसिंह पिता लक्ष्मीचन्द जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी                                  | 198       | 0.772          | 0.240                   |
|      | किता   | 1         | 0.772          | 0.240                   |
| 18   | दोलजी पिता अमरसिंह, कंकूबाई बेवा रामलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी                                      | 327       | 0.696          | 0.075                   |
|      | किता   | 1         | 0.696          | 0.075                   |
| 19   | बालूसिंह पिता धीरपसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी   | 320/2     | 0.131          | 0.009                   |
|      | किता   | 1         | 0.131          | 0.009                   |
| 20   | रामकंवरीबाई पिता बालू जाति अनुसूचित नि.ग्राम भू-स्वामी   | 215/1     | 0.063          | 0.020                   |
|      | किता   | 1         | 0.063          | 0.020                   |
| 21   | कमलसिंह पिता दोलजी जाति अनुसूचित नि.ग्राम भू-स्वामी  | 503       | 0.114          | 0.024                   |
|      | किता   | 1         | 0.114          | 0.024                   |
| 22   | कमलाबाई पति इन्दरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी  | 320/1     | 0.131          | 0.009                   |
|      | किता   | 1         | 0.131          | 0.009                   |
| 23   | रामचरण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी  | 108/4/3   | 0.017          | 0.017                   |
|      |  | 107/4/3   | 0.038          | 0.038                   |
|      |  | 77/1      | 0.089          | 0.045                   |
|      | किता   | 3         | 0.144          | 0.100                   |
| 24   | मांगीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी  | 108/4/1   | 0.017          | 0.017                   |
|      | किता   | 1         | 0.017          | 0.017                   |
| 25   | शिवनारायण, मनोहर पिता मांगीलाल, घीसीबाई बेवा मांगीलाल, नाथू धूलजी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी | 190       | 0.531          | 0.178                   |
|      |  | 142       | 0.089          | 0.007                   |
|      |  | 2         | 0.620          | 0.185                   |
| 26   | बद्रीलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी  | 202/2/1   | 0.050          | 0.050                   |
|      | किता   | 1         | 0.050          | 0.050                   |
| 27   | हजारी पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी   | 143       | 0.304          | 0.072                   |
|      | किता   | 1         | 0.304          | 0.072                   |
| 28   | रामप्रसाद, बापूलाल, आयोध्याबाई पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी                                  | 103/4     | 0.076          | 0.076                   |
|      | किता   | 1         | 0.076          | 0.076                   |
| 29   | प्रभुलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी   | 108/3     | 0.051          | 0.051                   |
|      | किता   | 1         | 0.051          | 0.051                   |
| 30   | शिवनारायण पिता नाथू जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी  | 244/2     | 0.084          | 0.040                   |
|      |  | 245/2     | 0.021          | 0.021                   |
|      |  | 120/1     | 0.038          | 0.030                   |
|      |  | 122       | 0.152          | 0.076                   |
|      | किता   | 4         | 0.295          | 0.167                   |

| स.क्र. | प्रभावित कृषक का नाम                                   | खसरा नंबर | रकबा (हे.में.) | प्रभावित रकबा (हे.में.) |
|--------|--|-----------|----------------|-------------------------|
| 1      | 2  | 3         | 4              | 5                       |
| 31     | देवीलाल पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी    | 244/3/1   | 0.035          | 0.012                   |
|        |  | 96/2      | 0.190          | 0.065                   |
|        |  | 120/2/1   | 0.019          | 0.019                   |
|        |  | 245/3/1   | 0.010          | 0.010                   |
| किता   |  | 4         | <b>0.254</b>   | <b>0.106</b>            |
| 32     | कन्हैयालाल पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी | 71/3      | 0.076          | 0.008                   |
|        |  | 244/3/2   | 0.035          | 0.013                   |
|        |  | 120/2/2   | 0.019          | 0.019                   |
|        |  | 245/3/2   | 0.011          | 0.011                   |
| किता   |  | 4         | <b>0.141</b>   | <b>0.051</b>            |
| 33     | हरिसिंह पिता देवीलाल जाति अनुसूचित नि. ग्राम भू-स्वामी | 12/1      | 1.012          | 0.200                   |
|        |  | किता      |                | 1                       |
| 34     | बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी ग्राम भू-स्वामी        | 108/4/2   | 0.017          | 0.017                   |
|        |  | 107/4/2   | 0.038          | 0.033                   |
|        |  | किता      |                | 2                       |
| 35     | बंशीलाल पिता धुलीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी    | 620/1     | 0.217          | 0.100                   |
|        |  | किता      |                | 1                       |
| 36     | बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी    | 246       | 0.228          | 0.190                   |
|        |  | किता      |                | 1                       |
| 37     | कुमेरसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया ग्राम भू-स्वामी    | 10/1/1    | 1.430          | 0.430                   |
|        |  | किता      |                | 1                       |
| किता   |  | <b>64</b> | <b>12.455</b>  | <b>6.921</b>            |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 1108-भू-भूर्जन-री-1-16-17

झाबुआ, दिनांक 14 सितम्बर 2017

**—: सार्वजनिक अधिसूचना :—**

**मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम नहारपुरा, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा।

**—: अनुसूची :—**

| क्रं. | जिला  | तहसील   | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (है.में) |
|-------|-------|---------|----------------------------|--------------|---|
| 1     | झाबुआ | पेटलावद | नहारपुरा/03                | 30           | 0.30  |
| 2     |       |         |                            | 38/3         | 0.01  |
| 3     |       |         |                            | 38/4         | 0.07  |
| 4     |       |         |                            | 213/1        | 0.12  |
| 5     |       |         |                            | 199/3        | 0.02  |
| 6     |       |         |                            | 199/4        | 0.09  |
| 7     |       |         |                            | 200          | 0.17  |
| 8     |       |         |                            | 204/1        | 0.16  |
| 9     |       |         |                            | 400          | 0.18  |
| 10    |       |         |                            | 401/5        | 0.00  |

| क्रं. | जिला  | तहसील   | ग्राम/पटवारी<br>हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये<br>अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में) |
|-------|-------|---------|-------------------------------|--------------|---|
| 11    | झाबुआ | पेटलावद | नहारपुरा/03                   | 399/4        | 0.06  |
| 12    |       |         |                               | 399/3        | 0.11  |
| 13    |       |         |                               | 399/2        | 0.01  |
| 14    |       |         |                               | 395/5        | 0.15  |
| 15    |       |         |                               | 406/1        | 0.16  |
| 16    |       |         |                               | 374/1        | 0.12  |
| 17    |       |         |                               | 344/1        | 0.06  |
| 18    |       |         |                               | 344/2        | 0.08  |
| 19    |       |         |                               | 344/3        | 0.07  |
| 20    |       |         |                               | 344/4        | 0.02  |
| 21    |       |         |                               | 343/3        | 0.00  |
| 22    |       |         |                               | 343/4        | 0.11  |
| 23    |       |         |                               | 339/1        | 0.10  |
| 24    |       |         |                               | 331          | 0.06  |
| 25    |       |         |                               | 326          | 0.06  |
| 26    |       |         |                               | 327          | 0.00  |
| 27    |       |         |                               | 504/3        | 0.04  |
| 28    |       |         |                               | 504/4        | 0.06  |
| 29    |       |         |                               | 504/2        | 0.08  |
| 30    |       |         |                               | 504/1        | 0.01  |
| 31    |       |         |                               | 509          | 0.24  |
| 32    |       |         |                               | 512          | 0.11  |
| 33    |       |         |                               | 511          | 0.01  |
| 34    |       |         |                               | 514          | 0.22  |
| 35    |       |         |                               | 513/1        | 0.02  |
|       |       |         |                               | कुल योग :-   | <b>3.08</b>   |

**—: सार्वजनिक अधिसूचना :—**

**मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला—झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम नहारपुरा, तहसील पेटलावद, जिला—झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला—झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा।

**—: अनुसूची :—**

| क्रं. | जिला  | तहसील   | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक      | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में) |
|-------|-------|---------|----------------------------|-------------------|--|
| 1     | झाबुआ | पेटलावद | नहारपुरा/03                | 509               | 0.24   |
| 2     |       |         |                            | 554               | 0.12   |
| 3     |       |         |                            | 678               | 0.06   |
| 4     |       |         |                            | 518               | 0.18   |
| 5     |       |         |                            | 528               | 0.01   |
| 6     |       |         |                            | 529/3             | 0.09   |
| 7     |       |         |                            | 530               | 0.08   |
| 8     |       |         |                            | 531/1             | 0.07   |
| 9     |       |         |                            | 552/1             | 0.09   |
| 10    |       |         |                            | 551               | 0.01   |
| 11    | झाबुआ | पेटलावद | नहारपुरा/03                | 553               | 0.07   |
| 12    |       |         |                            | 676               | 0.12   |
| 13    |       |         |                            | 677/1             | 0.01   |
| 14    |       |         |                            | 674/1             | 0.11   |
| 15    |       |         |                            | 674/2             | 0.07   |
| 16    |       |         |                            | 674/3             | 0.05   |
| 17    |       |         |                            | 674/4             | 0.03   |
| 18    |       |         |                            | 684/2             | 0.01   |
| 19    |       |         |                            | 684/1             | 0.09   |
|       |       |         |                            | <b>कुल योग :-</b> | <b>1.51</b>  |

क्रमांक 1110-भू-भूजन-री-1-16-17

## -: सार्वजनिक अधिसूचना :-

## मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम उन्नई, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा।

## -: अनुसूची :-

| क्रं. | जिला  | तहसील   | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.में) |
|-------|-------|---------|----------------------------|--------------|---|
| 1     | झाबुआ | पेटलावद | उन्नई/03                   | 209/1        | 0.04  |
| 2     |       |         |                            | 210          | 0.06  |
| 3     |       |         |                            | 211          | 0.06  |
| 4     |       |         |                            | 197/1        | 0.08  |
| 5     |       |         |                            | 113          | 0.07  |
| 6     |       |         |                            | 141          | 0.11  |
| 7     |       |         |                            | 143          | 0.07  |
| 8     |       |         |                            | 142          | 0.02  |
| 9     |       |         |                            | 147/1        | 0.26  |
| 10    |       |         |                            | 148          | 0.06  |
| 11    | झाबुआ | पेटलावद | उन्नई/03                   | 51           | 0.22  |
| 12    |       |         |                            | 50           | 0.17  |
| 13    |       |         |                            | 166          | 0.02  |
| 14    |       |         |                            | 165          | 0.03  |
| 15    |       |         |                            | 160          | 0.12  |
| 16    |       |         |                            | 162          | 0.07  |
| 17    |       |         |                            | 161          | 0.05  |
| 18    |       |         |                            | 157          | 0.17  |
| 19    |       |         |                            | 156/2        | 0.01  |
|       |       |         |                            | कुल योग :-   | 1.69  |



क्रमांक 1112-भू-भूर्जन-री-1-16-17

## -: सार्वजनिक अधिसूचना :-

## मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम असालिया, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा।

## -: अनुसूची :-

| क्रं. | जिला  | तहसील   | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में) |
|-------|-------|---------|----------------------------|--------------|--|
| 1     | झाबुआ | पेटलावद | असालिया/02                 | 374          | 0.03   |
| 2     |       |         |                            | 372          | 0.05   |
| 3     |       |         |                            | 371          | 0.02   |
| 4     |       |         |                            | 379/1        | 0.13   |
| 5     |       |         |                            | 382/1        | 0.14   |
| 6     |       |         |                            | 402          | 0.22   |
| 7     |       |         |                            | 400          | 0.12   |
| 8     |       |         |                            | 399          | 0.08   |
| 9     |       |         |                            | 409          | 0.05   |
| 10    |       |         |                            | 192/1        | 0.01   |

| क्रं. | जिला  | तहसील   | ग्राम/पटवारी<br>हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक      | उपयोग के अधिकार के लिये<br>अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में) |
|-------|-------|---------|-------------------------------|-------------------|---|
| 11    | झाबुआ | पेटलावद | असालिया / 02                  | 201               | 0.23  |
| 12    |       |         |                               | 200/1             | 0.20  |
| 13    |       |         |                               | 193/1             | 0.10  |
| 14    |       |         |                               | 51/1              | 0.11  |
| 15    |       |         |                               | 52                | 0.11  |
| 16    |       |         |                               | 58/1              | 0.18  |
| 17    |       |         |                               | 59                | 0.03  |
| 18    |       |         |                               | 60                | 0.03  |
| 19    |       |         |                               | 94/1              | 0.05  |
| 20    |       |         |                               | 96                | 0.02  |
| 21    |       |         |                               | 101/1             | 0.21  |
| 22    |       |         |                               | 109               | 0.18  |
| 23    |       |         |                               | 136               | 0.10  |
| 24    |       |         |                               | 139               | 0.02  |
| 25    |       |         |                               | 140               | 0.13  |
| 26    |       |         |                               | 141               | 0.16  |
| 27    |       |         |                               | 712               | 0.12  |
| 28    |       |         |                               | 613               | 0.04  |
| 29    |       |         |                               | 614               | 0.17  |
| 30    |       |         |                               | 618               | 0.09  |
| 31    |       |         |                               | 622/1             | 0.10  |
| 32    |       |         |                               | 619/1             | 0.09  |
| 33    |       |         |                               | 621/1             | 0.09  |
|       |       |         |                               | <b>कुल योग :-</b> | <b>3.41</b>   |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्रमांक 3036-भू-भूजन-2017

बरेली, दिनांक 5 सितम्बर 2017

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - सनखेड़ा

तहसील- बाड़ी

| क्र. | ग्राम का नाम | भूमि स्वामी का नाम  | अर्जित किये जाने वाले खसरा नं. | कुल रकबा हेक्टेयर में | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | प्राधिकृत अधिकारी   | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन           |
|------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|
| 1    | 2            | 3   | 4                              | 5                     | 6                        | 7   | 8                                    |
| 1    | सनखेड़ा      | गोविन्द सिंह ठाकुर आ. बरेलाल जाति पुर्विया नि. भू स्वामी  | 33/3                           | 1.490                 | 0.099                    | कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन | बारना सिंचाई परियोजना की उप नहर हेतु |
| 2    | सनखेड़ा      | रामसिंह आ. हरिराम ठाकुर जाति पुर्विया नि. ग्राम भू स्वामी | 164/3                          | 1.902                 | 0.073                    |   |                                      |

## क्रमांक 3037-भू-भूजन-2017

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2016-17 /भू-अर्जन/बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - पलकाश्री

तहसील- बाड़ी

| क्र. | ग्राम का नाम | भूमि स्वामी का नाम  | अर्जित किये जाने वाले खसरा नं. | कुल रकबा हेक्टेयर में   | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | प्राधिकृत अधिकारी   | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                    |
|------|--------------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| 1    | 2            | 3   | 4                              | 5                       | 6                        | 7   | 8   |
| 1    | पलकाश्री     | दरयाव सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भू स्वामी | 110/1/1<br>110/1/2/1<br>110/3  | 1.133<br>0.209<br>0.922 | 0.267                    | कार्यपालन यंत्री<br>बारना बांयी तट<br>नहर संभाग<br>वाड़ी जिला<br>रायसेन | बारना<br>सिंचाई परियोजना<br>की उप<br>नहर हेतु |
| 2    | पलकाश्री     | रामप्यारी बाई आ. जालम सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भू स्वामी | 110/1/2/2                      | 2.171                   | 0.134                    |   |   |
| 3    | पलकाश्री     | खुमान सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भू स्वामी | 111/1                          | 2.286                   | 0.105                    |   |   |
| 4    | पलकाश्री     | चैन सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भू स्वामी   | 111/2                          | 2.287                   | 0.101                    |   |   |

क्रमांक 3078-भू-भूर्जन-2017

बरेली, दिनांक 8 सितम्बर 2017

सार्वजनिक सूचना

प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - खिरिया

तहसील- उदयपुरा

| क्र. | ग्राम का नाम | भूमि स्वामी का नाम   | अर्जित किये जाने वाले खसरा नं. | कुल रकबा हेक्टेयर में | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | प्राधिकृत अधिकारी   | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                            |
|------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---|
| 1    | 2            | 3  | 4                              | 5                     | 6                        | 7   | 8   |
| 1    | खिरिया       | अजय व अभिषक ना.वा. आ. बैदेहीशरण जाति विशनोई निवासी उदयपुरा भू स्वामी | 50/1                           | 3.678                 | 0.220                    | कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन | बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छतौर उप नहर हेतु |
| 2    | खिरिया       | ऋषिकुमार आ. मैथलीशरण जाति विशनोई निवासी ग्राम भू स्वामी              | 50/4/2<br>50/4/3               | 0.246<br>0.246        | 0.050                    |   |   |
| 3    | खिरिया       | राजेन्द्र सिंह आ. मैथलीशरण जाति विशनोई निवासी उदयपुरा भू स्वामी      | 50/4/1                         | 0.246                 | 0.028                    |   |   |
| 4    | खिरिया       | मुकुल आ. लक्ष्मीनारायण जाति विशनोई नि. उदयपुरा भू स्वामी             | 50/5                           | 0.745                 | 0.060                    |   |   |
| 5    | खिरिया       | अशोक कुमार आ. शरदा प्रसाद जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी          | 50/2/1                         | 0.372                 | 0.024                    |   |   |

|    |        |  |                  |                |                |  |  |
|----|--------|--|------------------|----------------|----------------|--|--|
| 6  | खिरिया | पंकज कुमार आ. शरदा प्रसाद जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी  | 50/2/2           | 0.372          | 0.028          |  |  |
| 7  | खिरिया | सीमा वेवा प्रतापसिंह, अनुज, श्रद्धा, पूजा, दीपा आ. प्रताप सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी                             | 54/2/1/1/2       | 2.332          | 0.105          |  |  |
| 8  | खिरिया | क्षमा देवी पत्नि रजनीश जाति ब्रा. निवासी उदयपुरा भू स्वामी   | 54/2/1/3/2/1     | 0.772          | 0.087          |  |  |
| 9  | खिरिया | राजेश कुमार आ. परमू जाति चमार निवासी उदयपुरा भू स्वामी   | 54/2/2           | 0.405          | 0.071          |  |  |
| 10 | खिरिया | परमू आ. श्यामलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी  | 58/2/1           | 0.809          | 0.052          |  |  |
| 11 | खिरिया | प्रदीप आ. परमू जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी  | 58/2/2           | 0.405          | 0.076          |  |  |
| 12 | खिरिया | चन्द्रवती वि. कमलेश प्रसाद, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमा, संदीप कुमार, राजीव कुमार आ. कमलेश प्रसाद जाति कयस्त नि. ग्राम भू स्वामी | 57/1/1           | 0.825          | 0.101          |  |  |
| 13 | खिरिया | राजेन्द्र कुमार आ. नित्यगोपाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी  | 57/1/2<br>57/3/2 | 0.413<br>0.364 | 0.057<br>0.049 |  |  |
| 14 | खिरिया | सधावाई पत्नि माधोसिंह जाति रघुवंशी नि. भुआँरा भू स्वामी  | 57/3/1           | 0.874          | 0.081          |  |  |

## क्रमांक 3079-भू-भूजन-2017

प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - निवाड़ी

तहसील- उदयपुरा

| क्र. | ग्राम का नाम | भूमि स्वामी का नाम   | अर्जित किये जाने वाले खसरा नं. | कुल रकबा हेक्टेयर में | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | प्राधिकृत अधिकारी   | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                             |
|------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--|
| 1    | 2            | 3  | 4                              | 5                     | 6                        | 7   | 8  |
| 1    | निवाड़ी      | गोटीराम आ. नन्हे जाति नाई निवासी ग्राम भू स्वामी   | 25/1                           | 0.939                 | 0.060                    | कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन | बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छतौर रूप नहर हेतु |
| 2    | निवाड़ी      | द्वारका आ. नन्हे जाति नाई निवासी ग्राम भू स्वामी   | 25/2                           | 0.939                 | 0.062                    |   |  |
| 3    | निवाड़ी      | कमलेश हि. 1.07 एकड़, भगवत हि. 0.57 डेसीमल, गोवर्धन हि. 0.57 डेसीमल, प्रताप हि. 0.57 डेसी. आ. धरमू एवं छोटीवाई वेवा धरमू हि. 0.57 डेसी. जाति नाई निवासी ग्राम भू स्वामी | 26/1                           | 1.069                 | 0.070                    |   |  |
| 4    | निवाड़ी      | राममूर्ति आ. रामगोपाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी  | 26/2                           | 0.809                 | 0.002                    |   |  |
| 5    | निवाड़ी      | नरेश आ. हनमतसिंह, श्यामवाई वेवा हनमत सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी  | 27                             | 2.229                 | 0.050                    |   |  |

|    |         |  |                |                |                |  |  |
|----|---------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 6  | निवाड़ी | कमला वाई वेवा बाबूलाल, सुभद्रावाई, ज्ञानवती वाई पुत्रीया बाबूलाल जाति नाई नि. ग्राम भू स्वामी  | 32/2/1         | 0.481          | 0.052          |  |  |
| 7  | निवाड़ी | हक्की वाई वि. गंभीर सिंह हरीनारायण, सुमनवाई, शीला वाई आ. गंभीर सिंह जाति नाई निवासी ग्राम भू स्वामी  | 32/2/2         | 0.478          | 0.05           |  |  |
| 8  | निवाड़ी | रघुवीर, अजबसिंह, जसमन सिंह, जीवन सिंह, अशोक, भावसिंह, आ. हल्कू, सरजूवाई पुत्री हल्कू, राधावाई वेवा सीताराम हरनारायण, राजेश आ. सीताराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी                                      | 31/1           | 4.051          | 0.148          |  |  |
| 9  | निवाड़ी | रमेश आ. कोमल जाति मेहरा नि. चीचली तह. गाडरवारा जिला नरसिंहपुर भू स्वामी  | 46/1/1         | 0.879          | 0.121          |  |  |
| 10 | निवाड़ी | राजेश आ. अवधनारायण जाति रघुवंशी नि. ग्राम भू स्वामी  | 46/1/2         | 1.214          | 0.034          |  |  |
| 11 | निवाड़ी | दमिया पुत्री वीरा जाति चमार निवासी ग्राम कानीवाड़ा भू स्वामी   | 46/1/3         | 0.809          | 0.073          |  |  |
| 12 | निवाड़ी | चतुरनारायण आ. परमलाल जाति किरार नि. ग्राम भू स्वामी  | 46/1/4<br>46/2 | 0.405<br>1.214 | 0.021<br>0.064 |  |  |
| 13 | निवाड़ी | रामसेवक आ. भवानी सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी  | 47/1/1         | 0.040          | 0.002          |  |  |
| 14 | निवाड़ी | डोमल सिंह ना.वा.आ. रामसेवक संर. पिता स्वयं जाति रघुवंशी नि. ग्राम भू स्वामी  | 47/2           | 1.886          | 0.081          |  |  |
| 15 | निवाड़ी | राममूर्ति आ. रामप्रसाद जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी   | 51             | 0.433          | 0.003          |  |  |
| 16 | निवाड़ी | भगवती वाई पत्ति रघुराज सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी  | 52<br>53/1     | 0.591<br>0.437 | 0.076<br>0.029 |  |  |
| 17 | निवाड़ी | केरा वाई वि. देवी सिंह, रमेश, महेश आ. देवी सिंह रामाजी रघुवर सिंह, वल्देव सिंह, आ. हरिसिंह जानकी वाई रम्पाबाई पुत्री हरिसिंह हि. 0.98 पैसे रामदयाल आ. हरिसिंह हि. 0.11 पैसे जाति रघुवंशी नि. ग्राम भू स्वामी | 54             | 3.565          | 0.072          |  |  |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. एस. तोमर, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.



## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 14 अगस्त 2017

क्र. 11683-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—नौगांवबुजुर्ग

(घ) अर्जित रकबा—22.404 हेक्टेयर.

| खसरा क्रमांक | अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) | (1)            | (2)   |
|--------------|--------------------------------------|----------------|-------|
|              |                                      | 914/3          | 0.130 |
|              |                                      | 914/4          | 0.130 |
|              |                                      | 913            | 1.360 |
|              |                                      | 924            | 0.030 |
|              |                                      | 930            | 0.050 |
|              |                                      | 1106/959/2/2/1 | 0.250 |
|              |                                      | 1106/9/2/2/1   | 0.350 |
|              |                                      | 978/1          | 0.060 |
|              |                                      | 979/1          | 0.085 |
|              |                                      | 980/1/1/1      | 0.380 |
|              |                                      | 984/3/2/1      | 0.150 |
|              |                                      | 984/3/2/3      | 0.700 |
|              |                                      | 984/3/2/2      | 0.200 |
|              |                                      | 986/2          | 0.143 |
|              |                                      | 987/1          | 0.200 |
|              |                                      | 988            | 0.760 |
|              |                                      | 989/1          | 0.065 |
|              |                                      | 989/2/2        | 0.270 |
|              |                                      | 1013/1/1       | 0.220 |
|              |                                      | 1013/3/1       | 0.050 |
|              |                                      | 1013/3/2       | 0.030 |
|              |                                      | 1013/4/1       | 0.030 |
| 561          | 1.360                                | 990/1          | 0.310 |
| 534/1        | 0.675                                | 991/1          | 0.040 |
| 536          | 0.780                                | 991/2          | 0.070 |
| 528/1        | 0.070                                | 992            | 0.200 |
| 909/4        | 0.250                                | 994/2          | 0.730 |
| 528/2        | 0.060                                | 994/3          | 0.400 |
| 909/3        | 0.240                                | 929/1/3        | 0.025 |
| 528/3        | 0.323                                | 929/1/6        | 0.092 |
| 909/1        | 0.230                                | 929/2/2        | 0.024 |
| 528/4        | 0.200                                | 931            | 1.000 |
| 907          | 0.305                                | 873/1/1        | 0.200 |
| 909/2        | 0.230                                | 932/1          | 0.155 |
| 910/1        | 0.750                                | 932/2/1/2      | 0.030 |
| 910/2        | 0.620                                | 932/2/1/3      | 0.025 |
| 911/1        | 0.180                                | 932/2/1/4      | 0.017 |
| 911/2        | 0.050                                | 932/2/1/3      | 0.007 |
| 912/2/4/1    | 0.110                                | 933/7          | 0.300 |
| 912/1        | 1.360                                | 948/2/2        | 0.400 |
| 925          | 0.450                                | 948/2/3        | 0.018 |
| 914/1        | 0.130                                | 962/1          | 0.250 |
| 914/2        | 0.130                                | 962/2          | 0.290 |

| (1)   | (2)   |
|---|-------|
| 962/3   | 0.320 |
| 962/4   | 0.150 |
| 960/2/1   | 0.600 |
| 960/2/2/2   | 0.160 |
| 960/2/2/1   | 0.100 |
| 972/4   | 0.036 |
| 972/2 मिन-77, 78, 79<br>एवं 80/972/3/2, 972/4,<br>972/5/2 | 0.038 |
| 972/2 मिन-76 एवं<br>81/972/3/2, 972/4<br>972/5/2          | 0.019 |
| 972/2 मिन-82, एवं<br>83/972/3/2, 972/4,<br>972/5/2        | 0.020 |
| 972/2 मिन-87 एवं<br>89/972/3/2, 972/4,<br>972/5/2         | 0.018 |
| 1106/959/1/1  | 0.250 |
| 929/3/2   | 0.074 |
| 926/2   | 0.100 |
| 929/2/4   | 0.037 |
| 929/3/6   | 0.060 |
| 926/3   | 0.375 |
| 929/1/5   | 0.066 |
| 929/2/1   | 0.189 |
| 929/3/1   | 0.063 |
| 926/4   | 0.425 |
| 929/1/4   | 0.060 |
| 929/2/3   | 0.037 |
| 929/3/7   | 0.115 |
| 929/4/1/1   | 0.037 |
| 929/4/2   | 0.060 |
| 982/2/1/1/2   | 0.038 |
| 932/2/1/1/1/1   | 0.017 |
| 932/2/1/1/1/3   | 0.011 |
| 932/2/1/1/1/2   | 0.022 |
| 932/2/1/1/2   | 0.020 |
| 982/2/1/1/1   | 0.012 |
| 972/2<br>मिन-84/972/3/2                                   |       |
| 972/4, 972/5/2  | 0.009 |
| 972/2 मिन-88, एवं<br>86/972/3/2, 972/4,                   |       |

| (1)             | (2)   |
|-----------------|-------|
| 972/5/2         | 0.018 |
| 972/2 मिन-71/   |       |
| 972/3/2, 972/4, |       |
| 972/5/2         | 0.012 |
| 974/1           | 0.090 |
| 986/1           | 0.017 |
| योग : 22.404    |       |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 18 सितम्बर 2017

क्र. 12880-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धार  
(ग) ग्राम—तिरला  
(घ) अर्जित रकबा—18.338 हेक्टेयर.

| खसरा<br>क्रमांक | अर्जन हेतु प्रस्तावित<br>रकबा (हे. में) |
|-----------------|---|
| (1)             | (2)                                     |
| 25/1            | 0.420                                   |
| 25/2            | 1.410                                   |
| 42              | 0.570                                   |
| 26              | 0.260                                   |
| 27              | 1.660                                   |
| 28/1            | 0.980                                   |
| 28/2            | 0.980                                   |
| 33              | 0.620                                   |
| 37/2            | 0.060                                   |
| 98              | 0.850                                   |

| (1)     | (2)   |
|---------|-------|
| 34      | 3.100 |
| 41      | 0.185 |
| 95      | 0.020 |
| 96/1    | 0.040 |
| 96/4    | 0.480 |
| 97      | 0.940 |
| 99      | 0.320 |
| 100     | 0.620 |
| 101     | 1.040 |
| 128     | 0.008 |
| 142     | 0.560 |
| 143     | 0.050 |
| 146/3   | 0.135 |
| 154/2/1 | 0.460 |
| 154/2/2 | 0.110 |
| 156/1   | 0.550 |
| 156/3   | 0.290 |
| 155     | 0.005 |
| 156/2   | 0.375 |
| 158     | 0.510 |
| 159/1   | 0.230 |
| 159/2   | 0.240 |
| 164     | 0.040 |
| 165     | 0.220 |

योग : 18.338

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12884-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—मतलबपुरा

(घ) अर्जित रकबा—3.360 हेक्टेयर.

| खसरा क्रमांक | अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) |
|--------------|--------------------------------------|
| (1)          | (2)                                  |
| 11           | 0.080                                |
| 12/1         | 0.250                                |
| 13           | 0.640                                |
| 14/3         | 0.690                                |
| 15           | 0.140                                |
| 19/1         | 0.140                                |
| 19/2         | 0.190                                |
| 20/2         | 0.300                                |
| 51/1         | 0.090                                |
| 21           | 0.120                                |
| 23/1         | 0.570                                |
| 23/8         | 0.150                                |

योग : 3.360

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12886-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धार  
(ग) ग्राम—नौगाँवबुजुर्ग  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.228 हेक्टेयर.

| खसरा क्रमांक | अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) |
|--------------|--------------------------------------|
| (1)          | (2)                                  |
| 460/2        | 0.010                                |
| 460/3        | 0.020                                |

|               |       |
|---------------|-------|
| (1)           | (2)   |
| 459           | 0.126 |
| 468/2         | 0.182 |
| 468/1/3       | 0.075 |
| 468/1/4       | 0.070 |
| 469/1/1       | 0.010 |
| 469/1/2       | 0.025 |
| 469/1/3       | 0.035 |
| 470/1/1       | 0.014 |
| 933/1/1       | 0.030 |
| 933/2/1       | 0.011 |
| 933/2/2/1     | 0.050 |
| 933/3         | 0.091 |
| 933/4         | 0.091 |
| 933/5         | 0.075 |
| 933/6         | 0.075 |
| 932/1         | 0.072 |
| 932/2/1/2     | 0.012 |
| 932/2/1/3     | 0.011 |
| 932/2/1/1/1/1 | 0.015 |
| 932/2/1/1/1/3 | 0.010 |
| 932/2/2       | 0.004 |
| 932/2/1/1/1/2 | 0.009 |
| 932/2/1/1/2   | 0.009 |
| 948/2/2       | 0.015 |
| 946/2/1/1     | 0.005 |
| 948/1         | 0.036 |
| 948/2/1       | 0.040 |
| योग : 1.228   |       |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“नागदा-धार गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्रमांक 31) के निर्माण हेतु.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 12888-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धार  
(ग) ग्राम—नौगांवबुजुर्ग  
(घ) अर्जित रकबा—1.540 हेक्टेयर.

| खसरा<br>क्रमांक<br>(1) | अर्जन हेतु प्रस्तावित<br>रकबा (हे. में)<br>(2) |
|------------------------|--|
| 559                    | 0.710  |
| 558/3                  | 0.250  |
| 558/2                  | 0.250  |
| 558/1                  | 0.310  |
| 556/4                  | 0.020  |
| योग : 1.540            |  |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12890-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—चिकल्या

(घ) अर्जित रकबा—2.504 हेक्टेयर.

| खसरा क्रमांक | अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) |
|--------------|--------------------------------------|
| (1)          | (2)                                  |
| 394/5        | 0.015                                |
| 394/6        | 0.124                                |
| 394/7        | 0.057                                |
| 394/8        | 0.026                                |
| 422/4        | 0.254                                |
| 423/1        | 0.650                                |
| 424/7        | 0.150                                |
| 424/8        | 0.088                                |
| 424/13       | 0.088                                |
| 424/19       | 0.170                                |
| 424/17       | 0.045                                |
| 429/3        | 0.720                                |
| 432/8        | 0.117                                |
| योग : 2.504  |                                      |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12892-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—ज्ञानपुरा

(घ) अर्जित रकबा—3.940 हेक्टेयर.

| खसरा क्रमांक | अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) |
|--------------|--------------------------------------|
| (1)          | (2)                                  |
| 6/2          | 0.240                                |
| 7/1          | 0.250                                |
| 7/2          | 0.110                                |
| 12           | 0.390                                |
| 13/1         | 0.150                                |
| 20/1         | 0.250                                |
| 20/2         | 0.080                                |
| 25/1/3       | 0.230                                |
| 25/2         | 0.230                                |
| 25/3         | 0.320                                |
| 25/5/1       | 0.220                                |
| 26/1         | 0.290                                |
| 36/1         | 0.230                                |
| 46/1/1       | 0.060                                |
| 51/3         | 0.300                                |
| 52/1/2/2     | 0.010                                |
| 52/1/1       | 0.170                                |
| 52/2/1       | 0.230                                |
| 52/2/2       | 0.150                                |
| 50/3         | 0.030                                |
| योग : 3.940  |                                      |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर (म. प्र.)  
(ख) तहसील—छतरपुर  
(ग) नगर/ग्राम—बोडा (बोडा माइनर, बोडा सब-माइनर)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.468 हेक्टर.

| भूमि का खसरा न. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|-----------------|----------------------------|
| (1)             | (2)                        |
| 569/1           | 0.138                      |
| 567             | 0.125                      |
| 566             | 0.108                      |
| 563             | 0.202                      |
| 561             | 0.088                      |
| 558             | 0.065                      |
| 559             | 0.137                      |
| 542             | 0.164                      |
| 543             | 0.094                      |
| 418             | 0.140                      |
| 419             | 0.020                      |
| 423/1           | 0.025                      |
| 423/2           | 0.025                      |
| 420             | 0.020                      |
| 421             | 0.089                      |
| 399             | 0.010                      |
| 400             | 0.058                      |
| 393             | 0.081                      |
| 392             | 0.038                      |
| 391             | 0.050                      |
| 390             | 0.054                      |
| 389             | 0.065                      |
| 388             | 0.025                      |

| (1)     | (2)   |
|---------|-------|
| 383     | 0.002 |
| 572     | 0.192 |
| 578/2/1 | 0.140 |
| 579     | 0.012 |
| 580     | 0.138 |
| 581/1/1 | 0.090 |
| 581/1/2 | 0.098 |
| 623/2/1 | 0.146 |
| 623/2/2 | 0.094 |
| 622     | 0.220 |
| 626     | 0.005 |
| 618     | 0.105 |
| 617     | 0.225 |
| 612     | 0.005 |
| 632     | 0.060 |
| 634     | 0.090 |
| 635/1   | 0.025 |
| योग . . | 3.468 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर (म. प्र.)  
(ख) तहसील—छतरपुर  
(ग) नगर/ग्राम—सीगोन  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.352 हेक्टर.

| भूमि का खसरा न. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|-----------------|----------------------------|
| (1)             | (2)                        |
| 415             | 0.010                      |
| 414/1           | 0.050                      |

|           |              |
|-----------|--------------|
| (1)       | (2)          |
| 414/2     | 0.098        |
| 413       | 0.010        |
| 398       | 0.184        |
| योग . . . | <u>0.352</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर (म. प्र.)  
 (ख) तहसील—छतरपुर  
 (ग) नगर/ग्राम—दउवनपुरवा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.987 हेक्टर.

| भूमि का खसरा न. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|-----------------|----------------------------|
| (1)             | (2)                        |
| 92              | 0.034                      |
| 76              | 0.137                      |
| 73/क            | 0.130                      |
| 74              | 0.081                      |
| 71/क/1          | 0.008                      |
| 70              | 0.090                      |
| 66              | 0.135                      |
| 65              | 0.008                      |
| 59              | 0.095                      |
| 56              | 0.173                      |
| 55/ख            | 0.008                      |
| 54              | 0.070                      |
| 40/क            | 0.018                      |
| योग . . .       | <u>0.987</u>               |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर (म. प्र.)  
 (ख) तहसील—छतरपुर  
 (ग) नगर/ग्राम—बंधीखुर्द  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.973 हेक्टर.

| भूमि का खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------------|----------------------------|
| (1)               | (2)                        |
| 14/क              | 0.045                      |
| 13/क              | 0.175                      |
| 13/ख              | 0.185                      |
| 15                | 0.197                      |
| 17                | 0.010                      |
| 18/2              | 0.082                      |
| 19                | 0.015                      |
| 11/क              | 0.160                      |
| 9                 | 0.180                      |
| 4                 | 0.071                      |
| 3/क/1             | 0.078                      |
| 3/क/3             | 0.005                      |
| 1                 | 0.020                      |
| 273               | 0.210                      |
| 270               | 0.010                      |
| 238               | 0.005                      |
| 237               | 0.008                      |
| 236               | 0.071                      |
| 231               | 0.138                      |
| 232               | 0.015                      |
| 230               | 0.008                      |
| 229               | 0.028                      |
| 228               | 0.132                      |

| (1)   | (2)                        | (1)  | (2)          |
|---|----------------------------|--|--------------|
| 225   | 0.060                      | 490/3  | 0.069        |
| 208   | 0.065                      | 500  | 0.005        |
|   | योग . . .                  | 493  | 0.080        |
|   | <u>1.973</u>               | 496/1  | 0.020        |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.   |                            | 496/2  | 0.060        |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.  |                            | 495  | 0.135        |
|   |                            | 521  | 0.030        |
|   |                            | 522  | 0.079        |
|   |                            | 520  | 0.123        |
|   |                            | 525  | 0.130        |
| प्र. क्र. 09-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:— |                            | 530  | 0.055        |
|   |                            | 529  | 0.029        |
|   |                            | 527  | 0.005        |
|   |                            | 528/क  | 0.070        |
|   |                            | 528/ख  | 0.095        |
|   |                            | 556  | 0.002        |
|   |                            | 557  | 0.113        |
|   |                            | 561/ख  | 0.006        |
|   |                            | 559  | 0.040        |
|   |                            | 560  | 0.160        |
|   |                            | 718/560  | 0.019        |
| (1) भूमि का वर्णन—  |                            | 554  | 0.010        |
| (क) जिला—छतरपुर (म. प्र.)   |                            | 655  | 0.053        |
| (ख) तहसील—छतरपुर  |                            | 656  | 0.253        |
| (ग) नगर/ग्राम—नंदनपुर   |                            | 661  | 0.050        |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.006 हेक्टर.  |                            | 660  | 0.019        |
| भूमि का खसरा नंबर   | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | 659  | 0.071        |
| (1)   | (2)                        | 649  | 0.455        |
| 166/ख   | 0.221                      | 592  | 0.293        |
| 167   | 0.295                      | 593  | 0.025        |
| 171   | 0.008                      | 594  | 0.197        |
| 170   | 0.021                      | 595  | 0.005        |
| 172   | 0.245                      | 612  | 0.214        |
| 446   | 0.163                      | 598  | 0.058        |
| 445   | 0.013                      | 290  | 0.322        |
| 421   | 0.238                      | 605/1  | 0.073        |
| 448   | 0.013                      | 605/2  | 0.102        |
| 441   | 0.138                      | 606  | 0.108        |
| 425   | 0.034                      | 287  | 0.219        |
| 440   | 0.127                      |  | योग . . .    |
| 436   | 0.122                      |  | <u>6.066</u> |
| 435   | 0.112                      | (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.                        |              |
| 432   | 0.184                      | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. |              |
| 460   | 0.021                      |  |              |
| 490/1   | 0.130                      |  |              |
| 490/2   | 0.069                      |  |              |



प्र. क्र. 10-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर (म. प्र.)  
 (ख) तहसील—छतरपुर  
 (ग) नगर/ग्राम—कीरतपुरा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.236 हेक्टर.

| भूमि का खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------------|----------------------------|
| (1)               | (2)                        |
| 901/1             | 0.148                      |
| 901/2             | 0.206                      |
| 901/3             | 0.022                      |
| 906/2             | 0.010                      |
| 902/1             | 0.070                      |
| 902/2             | 0.081                      |
| 903               | 0.088                      |
| 898               | 0.148                      |
| 883/ख             | 0.175                      |
| 871               | 0.064                      |
| 868               | 0.170                      |
| 860               | 0.138                      |
| 865               | 0.017                      |
| 864/क             | 0.200                      |
| 858/क             | 0.006                      |
| 857               | 0.006                      |
| 954/1             | 0.294                      |
| 954/2             | 0.295                      |
| 836/ख/1           | 0.445                      |
| 836/ख/2           | 0.235                      |
| 836/ख/3           | 0.010                      |
| 644/ख             | 0.005                      |
| 643/1             | 0.060                      |
| 592               | 0.100                      |
| 591               | 0.269                      |

| (1)      | (2)   |
|----------|-------|
| 594/क/1  | 0.046 |
| 594/क/2  | 0.205 |
| 594/क/3  | 0.010 |
| 603      | 0.005 |
| 595      | 0.271 |
| 600      | 0.100 |
| 599      | 0.021 |
| 611      | 0.005 |
| 612      | 0.138 |
| 498/क/2  | 0.015 |
| 498/ख/2  | 0.015 |
| 493/क    | 0.106 |
| 492      | 0.016 |
| 490      | 0.194 |
| 442      | 0.115 |
| 443/1    | 0.130 |
| 443/2    | 0.006 |
| 444      | 0.230 |
| 486/3    | 0.006 |
| 445/क/1  | 0.094 |
| 445/क/2  | 0.120 |
| 447/1/ख  | 0.090 |
| 447/2/ख  | 0.083 |
| 448      | 0.078 |
| 71/1/क   | 0.211 |
| 71/1/ख/1 | 0.080 |
| 71/1/ख/2 | 0.045 |
| 60       | 0.136 |
| 62       | 0.026 |
| 61       | 0.172 |
| 59       | 0.199 |
| 58       | 0.006 |

योग . . . 6.236

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 रमेश भन्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्र. B-4809-दो-2-43-2017.—श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 2 से 5 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6592-दो-2-47-2010.—श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 26 अगस्त 2017 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 अगस्त 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में 27 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनःपदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6596-दो-2-14-2013.—श्री व्ही. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 3 से 5 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनःपदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6598-दो-2-18-2015.—श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी का दिनांक 16 से 18 अगस्त 2017 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 16 से 17 अगस्त 2017 तक दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. E-6602-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 20 जुलाई 2017 का एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनःपदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6604-दो-2-47-2010.—श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय मण्डला को मण्डला पुनःपदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6607-दो-2-29-2014.—श्री एस. एस. गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 28 अगस्त से 1 सितम्बर 2017 तक दोनों सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अगस्त 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में 2 एवं 3 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय मुरैना को मुरैना पुनःपदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. गर्ग उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. E-6676-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 09 एवं 10 सितम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 05 सितम्बर 2017

क्र. 1095-गोपनीय-2017-चार-12-31-72 (भाग-चार-ए).—कुमारी अपूर्वा ताम्रकार, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भोपाल की प्रार्थना पर उनका गृह जिला "खण्डवा (मध्यप्रदेश)" के स्थान पर "रायसेन (मध्यप्रदेश)" परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे।

क्र. 1097-गोपनीय-2017-चार-12-31-72 (भाग-चार-ए).—श्री दिलीप सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 बैहर जिला बालाघाट की प्रार्थना पर उनका गृह जिला "होशंगाबाद एवं भोपाल (मध्यप्रदेश)" के स्थान पर "भोपाल (मध्यप्रदेश)" परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे।

क्र. 1099-गोपनीय-2017-चार-12-31-72 (भाग-चार-ए).—श्रीमती शक्ति वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कटनी की प्रार्थना पर उनका गृह जिला "जबलपुर (मध्यप्रदेश)" के स्थान पर "उमरिया (मध्यप्रदेश)" परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे।

जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. 1129-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान, जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, प्रभारी प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से पदस्थ करते हैं। उक्त पदस्थापना, वर्तमान प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर श्री गौरी शंकर दुबे के अवकाश पर होने के कारण की जा रही है।

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर के नियमित पदधारी के अवकाश से लौटने पर श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान, जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 08-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. ग्वालियर-झांसी मार्ग से घोंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन+पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन किया जाना है. संबंधित विभाग द्वारा धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट संलग्न कर उल्लेख किया गया है, कि प्रस्तावित योजना से सामाजिक परिवेश पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि क्षेत्र की जनता सुचारू आवागमन एवं अच्छी सड़क से लाभान्वित होगी. शासन की महत्वकांक्षी एवं आमजन के लिये लाभाकारी योजना को क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया है : —

### अनुसूची

| जिला     | तहसील | भूमि का वर्णन |  | धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी   |  | सार्वजनिक प्रयोजन का नाम   |
|----------|-------|---------------|--|---|--|--|
|          |       | ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल<br>सर्वे नम्बर रकबा<br>(हेक्टेयर में) |   |  |  |
| (1)      | (2)   | (3)           | (4)  | (5)   |  | (6)  |
| ग्वालियर | डबरा  | घोंघा         | संलग्न सूची अनुसार 1.340                             | संभागीय प्रबंधक (म. प्र.) सड़क विकास निगम ग्वालियर. |  | ग्वालियर-झांसी मार्ग से घोंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन +पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु. |

### बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम घोंघा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

| स. क्र. | खसरा नं. | कुल अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे.) | रिमांक |
|---------|----------|--------------------------------|--------|
| (1)     | (2)      | (3)                            | (4)    |
| 1       | 59       | 0.050                          | -      |
| 2       | 173      | 0.020                          | -      |
| 3       | 60       | 0.030                          | -      |
| 4       | 61       | 0.040                          | -      |
| 5       | 62       | 0.010                          | -      |
| 6       | 64       | 0.050                          | -      |
| 7       | 65       | 0.030                          | -      |
| 8       | 66       | 0.040                          | -      |
| 9       | 67       | 0.010                          | -      |
| 10      | 68       | 0.010                          | -      |

| (1) | (2)   | (3)       | (4)   |
|-----|-------|-----------|-------|
| 11  | 69    | 0.010     | -     |
| 12  | 70    | 0.020     | -     |
| 13  | 72    | 0.050     | -     |
| 14  | 101/1 | 0.025     | -     |
| 15  | 101/2 | 0.025     | -     |
| 16  | 120/1 | 0.040     | -     |
| 17  | 120/2 | 0.040     | -     |
| 18  | 144   | 0.040     | -     |
| 19  | 142   | 0.020     | -     |
| 20  | 143   | 0.030     | -     |
| 21  | 146   | 0.030     | -     |
| 22  | 340   | 0.110     | -     |
| 23  | 150   | 0.030     | -     |
| 24  | 151   | 0.030     | -     |
| 25  | 172   | 0.010     | -     |
| 26  | 391   | 0.060     | -     |
| 27  | 394   | 0.100     | -     |
| 28  | 356   | 0.030     | -     |
| 29  | 152   | 0.020     | -     |
| 30  | 174   | 0.030     | -     |
| 31  | 175   | 0.050     | -     |
| 32  | 202   | 0.060     | -     |
| 33  | 203   | 0.040     | -     |
| 34  | 204   | 0.050     | -     |
| 35  | 205   | 0.050     | -     |
| 36  | 351   | 0.040     | -     |
| 37  | 388/1 | 0.010     | -     |
|     |       | योग . . . | 1.340 |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. ग्वालियर-झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन+पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन किया जाना है. संबंधित विभाग द्वारा धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट संलग्न कर उल्लेख किया गया है, कि प्रस्तावित योजना से सामाजिक परिवेश पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि क्षेत्र की जनता सुचारू आवागमन एवं अच्छी सड़क से लाभान्वित होगी.

शासन की महत्वकांक्षी एवं आमजन के लिये लाभाकारी योजना को क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया है : —

### अनुसूची

| जिला     | तहसील | भूमि का वर्णन |  | धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी |   | सार्वजनिक प्रयोजन का नाम   |
|----------|-------|---------------|--|---|---|--|
|          |       | ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टेयर में) |   |   |  |
| (1)      | (2)   | (3)           | (4)  | (5)   |   | (6)  |
| ग्वालियर | डबरा  | बांसी         | संलग्न सूची अनुसार                             | 0.960<br><u>0.960</u>                             | संभागीय प्रबंधक (म. प्र.) सड़क विकास निगम ग्वालियर. | ग्वालियर-झांसी मार्ग से घोंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन +पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु. |

ग्राम बांसी, प. ह. नं. 07, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर  
बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बांसी के प्रस्तावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

| खसरा नं. | कुल अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे. में) | रिमार्क      |
|----------|------------------------------------|--------------|
| (1)      | (2)                                | (3)          |
| 3 मिन-1  | 0.030                              | -            |
| 3 मिन-2  | 0.030                              | -            |
| 4/1      | 0.040                              | -            |
| 4/2      | 0.040                              | -            |
| 5        | 0.080                              | -            |
| 39       | 0.060                              | -            |
| 40       | 0.080                              | -            |
| 9        | 0.050                              | -            |
| 10       | 0.200                              | -            |
| 12/1     | 0.040                              | -            |
| 12/2     | 0.030                              | -            |
| 14 मिन-1 | 0.080                              | -            |
| 44       | 0.200                              | -            |
|          | कुल योग . .                        | <u>0.960</u> |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. ग्वालियर-झांसी मार्ग से घोंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन+पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन किया जाना है. संबंधित विभाग द्वारा धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट संलग्न कर उल्लेख किया गया है, कि प्रस्तावित योजना से सामाजिक परिवेश पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि क्षेत्र की जनता सुचारू आवागमन एवं अच्छी सड़क से लाभान्वित होगी.

शासन की महत्वकांक्षी एवं आमजन के लिये लाभाकारी योजना को क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया है : -

### अनुसूची

| जिला     | भूमि का वर्णन |       | धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी |                               | सार्वजनिक प्रयोजन का नाम                          |  |
|----------|---------------|-------|---|-------------------------------|---|--|
|          | तहसील         | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर                        | क्षेत्रफल रकबा (हेक्टेयर में) |   |  |
| (1)      | (2)           | (3)   | (4)   | (5)                           | (6)   |  |
| ग्वालियर | डबरा          | लदेरा | संलग्न सूची अनुसार                                | 0.960<br><u>0.960</u>         | संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर. | ग्वालियर-झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन +पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु. |

### बिलौआ-घौंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम लधेरा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

| स. क्र. | खसरा नं. | कुल अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे.) | रिमार्क |
|---------|----------|--------------------------------|---------|
| (1)     | (2)      | (3)                            | (4)     |
| 1       | 443      | 0.020                          | -       |
| 2       | 447      | 0.010                          | -       |
| 3       | 461      | 0.010                          | -       |
| 4       | 462      | 0.120                          | -       |
| 5       | 463      | 0.010                          | -       |
| 6       | 464      | 0.040                          | -       |
| 7       | 467      | 0.020                          | -       |
| 8       | 458      | 0.020                          | -       |
| 9       | 459      | 0.010                          | -       |
| 10      | 468/1    | 0.010                          | -       |
| 11      | 468/2    | 0.020                          | -       |
| 12      | 944      | 0.010                          | -       |
| 13      | 950      | 0.010                          | -       |
| 14      | 951      | 0.020                          | -       |
| 15      | 952      | 0.020                          | -       |
| 16      | 953      | 0.010                          | -       |
| 17      | 954      | 0.040                          | -       |
| 18      | 958      | 0.020                          | -       |
| 19      | 961      | 0.100                          | -       |
| 20      | 465      | 0.040                          | -       |
| 21      | 466      | 0.100                          | -       |
| 22      | 470      | 0.040                          | -       |
| 23      | 472      | 0.020                          | -       |
| 24      | 471      | 0.020                          | -       |
| 25      | 476      | 0.030                          | -       |

| (1) | (2)   | (3)       | (4)   |
|-----|-------|-----------|-------|
| 26  | 477   | 0.030     | -     |
| 27  | 977/1 | 0.010     | -     |
| 28  | 977/2 | 0.010     | -     |
| 29  | 977/3 | 0.010     | -     |
| 30  | 977/4 | 0.010     | -     |
| 31  | 977/5 | 0.010     | -     |
| 32  | 982/1 | 0.030     | -     |
| 33  | 982/2 | 0.030     | -     |
| 34  | 982/4 | 0.030     | -     |
| 35  | 979   | 0.020     | -     |
|     |       | योग . . . | 0.960 |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 11-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। ग्वालियर-झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन+पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन किया जाना है। संबंधित विभाग द्वारा धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट संलग्न कर उल्लेख किया गया है, कि प्रस्तावित योजना से सामाजिक परिवेश पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि क्षेत्र की जनता सुचारू आवागमन एवं अच्छी सड़क से लाभान्वित होगी। शासन की महत्वकांक्षी एवं आमजन के लिये लाभाकारी योजना को क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया है : —

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |         |   | धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी       | सार्वजनिक प्रयोजन का नाम  |
|---------------|-------|---------|---|---|---|
| जिला          | तहसील | ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>सर्वे नम्बर<br>रकबा<br>(हेक्टेयर में) |   |   |
| (1)           | (2)   | (3)     | (4)   | (5)   | (6)   |
| ग्वालियर      | डबरा  | लखनपुरा | संलग्न सूची<br>अनुसार<br>0.350<br><u>0.350</u>          | संभागीय प्रबंधक<br>म. प्र. सड़क विकास<br>निगम ग्वालियर. | ग्वालियर-झांसी मार्ग से घौंघा वाया<br>बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी.<br>योजना में दो लेन +पेहड/हार्ड शोल्डर<br>निर्माण कार्य हेतु. |

बिलौआ-घौंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम लखनपुरा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

| स. क्र. | खसरा नं. | कुल अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे.) | रिमार्क |
|---------|----------|--------------------------------|---------|
| (1)     | (2)      | (3)                            | (4)     |
| 1       | 288      | 0.010                          | -       |
| 2       | 280      | 0.030                          | -       |
| 3       | 290      | 0.020                          | -       |



| (1) | (2)   | (3)       | (4)   |
|-----|-------|-----------|-------|
| 4   | 298/1 | 0.010     | -     |
| 5   | 298/2 | 0.010     | -     |
| 6   | 298/3 | 0.010     | -     |
| 7   | 301   | 0.010     | -     |
| 8   | 302   | 0.010     | -     |
| 9   | 303   | 0.010     | -     |
| 10  | 304   | 0.010     | -     |
| 11  | 306   | 0.040     | -     |
| 12  | 319   | 0.020     | -     |
| 13  | 320   | 0.020     | -     |
| 14  | 321   | 0.020     | -     |
| 15  | 325   | 0.010     | -     |
| 16  | 326/1 | 0.010     | -     |
| 17  | 326/2 | 0.010     | -     |
| 18  | 395   | 0.010     | -     |
| 19  | 471   | 0.030     | -     |
| 20  | 474   | 0.010     | -     |
| 21  | 475   | 0.020     | -     |
| 22  | 504   | 0.020     | -     |
|     |       | योग . . . | 0.350 |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 09-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) के तहत तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है, इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। अतः अधिनियम की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        | धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी |                          | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                |
|---------------|--------|---|--------------------------|---|
| जिला          | तहसील  | ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) |   |
| (1)           | (2)    | (3)   | (4)                      | (6)                                       |
| छतरपुर        | छतरपुर | पहाड़गांव (पूरक)  | 3.500                    | तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु। |

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 10-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) के तहत तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है, इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. अतः अधिनियम की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        | धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी |                          | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                   |   |
|---------------|--------|---|--------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील  | ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) |  |   |
| (1)           | (2)    | (3)   | (4)                      | (6)  |   |
| छतरपुर        | छतरपुर | गहरवार (पूरक)   | 3.100                    | अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर. | तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 13 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 026-अ-82-वर्ष 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी |   | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन              |  |
|---------------|-------|---------------------------------------|---|---|--|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम                             | लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)   |   |  |
| (1)           | (2)   | (3)                                   | (4)   | (6)                                     |  |
| पन्ना         | पवई   | करही                                  | निजी भूमि रकबा 10.96 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.410 है.<br>कुल रकबा 12.37 है. | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई. | पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 027-अ-82-वर्ष 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

| जिला  | तहसील | भूमि का वर्णन |   | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी   | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                 |
|-------|-------|---------------|---|---|--|
|       |       | नगर/ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)   |   |  |
| (1)   | (2)   | (3)           | (4)   | (5)                                     | (6)  |
| पन्ना | पवई   | कृष्णगढ़      | निजी भूमि रकबा 9.589 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.063 है.<br><u>कुल रकबा 10.652 है.</u> | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई. | पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. पी. आईरीन सिंधिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.